मंथली पॉलिसी रिव्यू

जुलाई 2021

इस अंक की झलकियां

मानसून सत्र 2021 प्रारंभ: 26 बिल्स पारित होने के लिए सूचीबद्ध (पेज 2)

19 जुलाई, 2021 को मानसून सत्र 2021 शुरू हुआ और सत्र के दौरान 19 दिन बैठकें होंगी। आईबीसी (संशोधन) बिल, 2021, आवश्यक रक्षा सेवा बिल, 2021 और इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021 को पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

संसद में तीन बिल पारित; चार बिल एक सदन में पारित (पेज 2)

संसद में पारित किए जाने वाले बिल्स में किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021, आईबीसी (संशोधन) बिल, 2021 और फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 शामिल हैं। लोकसभा में पारित होने वाले बिल्स में इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021 शामिल है।

संसद में आठ बिल पेश (पेज 2)

लोकसभा में छह बिल पेश किए गए जिनमें जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2021 और डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल, 2021 शामिल हैं।

2021-22 की अप्रैल-जून की तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 5.6% (पेज 4)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 4.2% से बढ़कर जून 2021 में 6.3% हो गई। थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 10.7% से बढ़कर जून 2021 में 12.1% हो गई।

2021-22 के लिए पहला अनुपूरक बजट लोकसभा में पारित (पेज 4)

अनुपूरक डीएफजी में 23,675 करोड़ रुपए की वृद्धिशील नकद राशि का प्रस्ताव है (2021-22 के बजट अनुमान का 0.7%) इसमें से 15,750 करोड़ रुपए कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए खर्च किए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश के कुछ प्रावधानों को रद्द किया (पेज 20)

सदस्यों के चार वर्ष के कार्यकाल और उनकी नियुक्ति के लिए 50 वर्ष की न्यूनतम आयु की शर्त को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधान रद्द किए गए।

श्रम, वाणिज्य और उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटीज़ ने विभिन्न विषयों की समीक्षा की (पेज 21)

कमिटीज़ ने छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 के प्रभाव, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था और राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थानों के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।

परिवहन एवं पर्यटन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 12)

कमिटी ने एविएशन कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय राजमार्गों की भूमिका, पर्यटन स्थलों के विकास तथा म्यूजियम्स एवं पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण सहित कई विषयों पर अपनी रिपोर्ट्स सौंपी।

मेडिसिन के विद्यार्थियों की कोटा योजना में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मंज़ूरी (पेज 25)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के विद्यार्थियों की अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंज़ूरी दी है।

2 अगस्त, 2021

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

2026-27 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और सांख्यात्मकता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू (पेज 25)

मिशन प्रत्येक बच्चे को पढ़ने, लिखने, बुनियादी गणितीय क्रियाकलाप करने और बुनियादी जीवन कौशल सीखने में मदद करने का प्रयास करेगा।

एमएसएमई वर्गीकरण के लिए खुदरा और थोक व्यापार गतिविधियां पात्र हुईं (पेज 23)

खुदरा और थोक व्यापार गतिविधियों को एमएसएमई के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र गतिविधियों की सूची में वापस शामिल किया गया है। इन्हें 2017 में इस सूची से बाहर कर दिया गया था। इन क्षेत्रों में लाभ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक सीमित होगा।

ड्राफ्ट ड्रोन नियम पर टिप्पणियां आमंत्रित (पेज 15)

ड्राफ्ट नियम में ड्रोन्स के भार की अधिकतम सीमा 500 किलोग्राम निर्दिष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट रिमोट पायलट्स के लाइसेंस की शर्त हटाई गई है और केंद्र सरकार को भारत में मशीन-रीडेबल एयरस्पेस मैप छापने के लिए अधिकृत किया गया है।

संसद

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

संसद का मानसून सत्र 2021 प्रारंभ

19 जुलाई, 2021 से संसद का मानसून सत्र 2021 शुरू हुआ।[1] सत्र के दौरान 19 दिन बैठकें होंगी और यह 13 अगस्त, 2021 को समाप्त होगा। सत्र के दौरान 26 बिल्स पर विचार और उन्हें पारित किया जाएगा। इनमें डीएनए टेक्नोलॉजी (प्रयोग और लागू होना) रेगुलेशन बिल, 2019, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) बिल, 2019 और असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 शामिल हैं। अब तक इनमें से चार बिल्स को संसद में पारित कर दिया गया। ये हैं: (i) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021, (ii) फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 (iii) नैविगेशन के लिए मैरीन एड्स बिल, 2021 और (iv) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल, 2021।

पारित होने के लिए सूचीबद्ध 26 में से 17 बिल्स को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। इनमें तीन बिल्स अध्यादेश का स्थान लेंगे: (i) इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल, 2021 (ii) आवश्यक रक्षा सेवा बिल, 2021, और (iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग बिल, 2021। आठ बिल्स को संसद में अब तक पेश किया जा चुका है जिनमें इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2021 और डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल, 2021।

अब तक लोकसभा ने तीन बिल्स पारित किए हैं जो राज्यसभा में लंबित हैं: (i) भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021, (ii) इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल, 2021, और (iii) इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021। इसके अतिरिक्त लोकसभा ने 2021-22 के लिए (23,675 करोड़ रुपए के कैश आउटगो) अनुपूरक अनुदान मांगों को भी मंजूर किया। राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया जो लोकसभा में लंबित है। राज्यसभा ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रबंधन पर अल्पावधि की चर्चा भी की।

मानसून सत्र 2021-22 के लेजिसलेटिव एजेंडा पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

कोविड-19

31 जुलाई, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 3,16,55,824 पुष्ट मामले थे।[2] इनमें से 3,08,20,521 (97%) मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 4,24,351 लोगों (1.3%) की मृत्यु हुई है। 31 जुलाई, 2021 तक 36,68,06,160 लोगों को वैक्सीन की कम से कम पहली डोज़ मिल गई है जिनमें से 10,34,92,436 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।[3] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

कोविड-19 के फैलने के साथ केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। इस संबंध में जुलाई 2021 में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

जून 2021 में गृह मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की थी।[4] यह दिशानिर्देश पहले जुलाई 2021 तक लागू थे।[5] इन दिशानिर्देशों को अब 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।[4]

महामारी की शुरुआत से मंत्रालय इन दिशानिर्देशों को समय-समय पर संशोधित करता रहा है। दिशानिर्देशों के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित है: (i) कोविड मामलों की पर्याप्त टेस्टिंग और ट्रैकिंग, (ii) कंटेनमेंट जोन्स को चिन्हित करने के लिए प्रमाण आधारित फ्रेमवर्क बनाना, और (iii) कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना (सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर का इस्तेमाल और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय)।[6] दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रतिबंधों में ढिलाई के सिद्धांत:** दिशानिर्देशों में निम्नलिखित के आधार पर आवाजाही में ढिलाई को लागू करने का सुझाव दिया गया है: (i) केस पॉजिटिविटी रेट (टेस्ट किए गए सैंपल्स में पॉजिटिव मामलों की संख्या) और (ii) हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे अस्पताल और आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन सप्लाई) की ऑक्यूपेंसी/उपलब्धता।
- **निरीक्षण**: दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि हर हफ्ते सभी जिलों के वर्गीकरण की स्थिति का निरीक्षण किया जाए। इसके अतिरिक्त उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि वे उन जिलों का निरीक्षण करें जहां प्रति दस लाख जनसंख्या में एक्टिव मामलों की संख्या अधिक है। दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि इसे संकेतक मानकर उन क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगाएं जहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाना चाहिए।

कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ प्रिपेयर्डनेस पैकेज के दूसरे चरण को मंजूरी

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के दूसरे चरण को मंजूरी दी।[7] पहले चरण की योजना की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी।[8] योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य बाल चिकित्सा देखभाल पर ध्यान देने के साथ-साथ कोविड-19 की शीघ्र पहचान, रोकथाम और प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है।

दूसरे चरण के लिए वित्तीय परिव्यय 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) केंद्र का हिस्सा 15,000 करोड़ रुपए और (ii) राज्य का हिस्सा 8,123 करोड़ रुपए।[7]

भारत-यूएस एयर बबल की पात्रता में संशोधन

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत-यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यूएसए) एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत हवाई उड़ानों के यात्रियों की पात्रता में संशोधन किया है।[9] इस एयर बबल व्यवस्था को

सितंबर 2020 में तैयार किया गया था।[10] एयर बबल का अर्थ होता है, दो देशों के बीच कमर्शियल यात्री सेवाओं को शुरू करने की अस्थायी व्यवस्था, जब कोविड-19 महामारी के कारण नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बाधित हों।[10]

इससे पहले सिर्फ फंसे हुए भारतीय नागरिकों, ओवरसीज़ इंडियन सिटिजन्स (ओसीआई) कार्डधारकों (यूएसए पासपोर्ट वाले), और विदेशी नागरिकों (अगर गृह मामलों के मंत्रालय के अनुसार पात्र हैं) ही एयर बबल के जरिए भारत में यात्रा के लिए पात्र थे।

संशोधित पात्रता के मानदंड (i) ओसीआई कार्डधारकों के लिए यूएसए पासपोर्ट होने की शर्त हटाते हैं, और (ii) पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) तथा किसी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत की यात्रा की अनुमति देते हैं।

आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल, 2020 को मई 2022 तक बढ़ाया गया

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

मई 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) के संबंध में आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस और नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल, 2020 को जारी किया था।[11] शुरुआत में प्रोटोकॉल 10 नवंबर, 2020 तक लागू था और फिर इसे छह महीने, यानी 10 मई, 2021 तक के लिए और बढ़ाया गया।[12] अब इसे 12 महीने, यानी 10 मई, 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है।[13]

आरोग्य सेतु ऐप को अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था ताकि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग (कोविड-19 से संक्रमित होने के उच्च जोखिम वाले लोगों की पहचान और निगरानी) की जा सके और यूजर्स अपने संक्रमित होने के जोखिम का आकलन कर सकें। प्रोटोकॉल का उद्देश्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने के लिए एप्लिकेशन द्वारा डेटा के सुरक्षित और प्रभावी कलेक्शन और शेयरिंग को सुनिश्चित करना है।

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

2021-22 की अप्रैल-जून तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 5.6%

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 4.2% से बढ़कर जून 2021 (वर्ष दर वर्ष) में 6.3% हो गई।[14] सीपीआई खुदरा स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। सीपीआई बास्केट में आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, जैसे खाद्य पदार्थ, ईंधन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होती हैं। सीपीआई बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों की हिस्सेदारी 46% है। खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 1.9% से बढ़कर जून 2021 में 5.2% हो गई।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 में 10.7% से बढ़कर जून 2021 (वर्ष-दर-वर्ष) में 12.1% हो गई।[15] डब्ल्यूपीआई लेनदेन के प्रारंभिक चरण में थोक बिक्री के लिए वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है।

चित्र 1: 2021-22 की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति के रुझान (% परिवर्तन, साल-दर-साल)

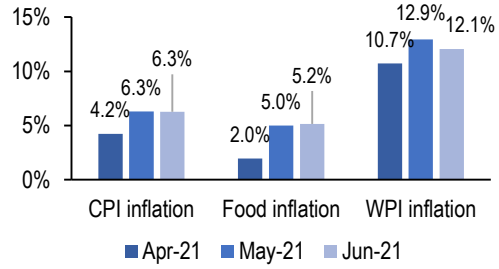

Sources: MOSPI; Ministry of Commerce and Industry; PRS.

वित्त

2021-22 के लिए पहले अनुपूरक बजट को लोकसभा में पारित किया गया

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

2021-22 के लिए पहली अनुपूरक अनुदान मांगों (डीएफजी) को लोकसभा में पारित कर दिया गया।[16] अनुपूरक डीएफजी में 23,675 करोड़ रुपए की वृद्धिशील नकद राशि का प्रस्ताव है जिसमें

2021-22 के बजट अनुमान की तुलना में व्यय में 0.7% की वृद्धि है (34,83,236 करोड़ रुपए)। यह अतिरिक्त राशि विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की जाएगी। इन क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोविड-19**: कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेर्यडनेस पैकेज पर 15,750 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पैकेज का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना है। इस धनराशि का उपयोग वेतन, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को अनुदान, और चिकित्सा आपूर्ति, उपकरण और अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए किया जाएगा। कुल राशि में से 12,207 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। पैकेज के अतिरिक्त महामारी की आपातकालीन तैयारियों और रिस्पांस में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को 526 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- **बीमा**: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत कोविड-19 का इलाज करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को बीमा कवर (प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए तक) प्रदान करने में 714 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
- **एयर इंडिया को ऋण**: एयर इंडिया को ऋण के रूप में 1,872 करोड़ रुपए दिए जाएंगे (आकस्मिता निधि से एयर इंडिया को जारी लोन्स और एडवांसेज़ के पुनर्भुगतान के जरिए)।
- **ब्याज से छूट**: 2020-21 में ऋण मोराटोरियम अवधि के दौरान उधारकर्ताओं के बकाया चक्रवृद्धि ब्याज (यानी, ब्याज पर ब्याज) की छूट के लिए 1,750 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है।

अनुपूरक डीएफजी में 23,675 करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय के अतिरिक्त 1,63,527 करोड़ रुपए के सकल व्यय को भी मंजूरी दी गई थी। इस सकल व्यय के लिए समेकित निधि से किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होती है और इसे सरकार द्वारा अपनी बचत, या बढ़े हुए राजस्व और वसूली के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सकल व्यय के 97% (यानी, 1,59,000 करोड़ रुपए) का उपयोग 2021-22 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के बदले राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। राज्यों को ऋण प्रदान किया जा रहा है क्योंकि जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस कलेक्शन राज्यों की मुआवजे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा।[17]

फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2021 संसद में पारित

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[18] इसे सितंबर 2020 में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाली एंटिटीज़ के दायरे को बढ़ाता है। फैक्टरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक एंटिटी (जिसे फैक्टर कहा जाता है) दूसरी एंटिटी (जिसे एसाइनर कहा जाता है) के रिसिवेबल्स को एक राशि के बदले हासिल करती है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रिसिवेबल्स की परिभाषा में बदलाव**: एक्ट कहता है कि रिसिवेबल्स (पूरा, उसका एक अंश या अविभाजित हित) ऐसी मौद्रिक रकम होती है जोकि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। यह अधिकार मौजूदा हो सकता है, भविष्य में उत्पन्न हो सकता है या किसी सेवा, सुविधा या अन्य के उपयोग से आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो सकता है। बिल इस परिभाषा में परिवर्तन करता है और कहता है कि रिसिवेबल्स का अर्थ ऐसा धन है जो किसी देनदार द्वारा टोल के लिए अथवा किसी सुविधा या सेवाओं के उपयोग के लिए किसी एसाइनर को चुकाया जाना है।
- **फैक्टरिंग बिजनेस की परिभाषा में बदलाव**: एक्ट में फैक्टरिंग बिजनेस का अर्थ निम्नलिखित बिजनेस है: (i) एसाइनमेंट को मंजूर करके एसाइनर के रिसिवेबल्स को हासिल करना, या (ii) रिसिवेबल्स के सिक्योरिटी

इंटरेस्ट को लोन्स या एडवांस के जरिए वित्त पोषित करना। बिल इसमें संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस को एसाइनमेंट के जरिए एसाइनर के रिसिवेबल्स के अधिग्रहण के तौर पर परिभाषित करता है।

- **फैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन**: एक्ट के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर किए बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग बिजनेस नहीं कर सकती। अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को फैक्टरिंग बिजनेस करना है तो (i) फैक्टरिंग बिजनेस में उसके वित्तीय एसेट्स और (ii) फैक्टरिंग बिजनेस से उसकी आय, दोनों को उसके ग्रॉस एसेट्स/शुद्ध आय के 50% से अधिक या आरबीआई द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक होना चाहिए। बिल में एनबीएफसी के लिए फैक्टरिंग बिजनेस की इस सीमा को हटा दिया गया है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: जयंत सिन्हा) ने फरवरी, 2021 को फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[19] कमिटी ने सुझाव दिया कि बिल को संशोधित किया जाए ताकि केंद्र और राज्य सरकारों से ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म पर रिसिवेबल्स की लिस्टिंग अनिवार्य की जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से एमएसएमई को लंबित भुगतान समय पर उपलब्ध कराया जाए। कमिटी ने सुझाव दिया कि जीएसटीएन ई-इनवॉयसिंग पोर्टल के साथ टीआरईडीएस को जोड़ा जाए। इससे टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर सभी जीएसटी इनवॉयस की ऑटोमैटिक अपलोडिंग हो जाएगी और इनवॉयस का रियल टाइम एक्सेस हो सकेगा। कमिटी ने कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया और प्रामाणिक होगी और फैक्टर्स के लिए टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म आकर्षक बनेगा, एमएसएमईज़ के क्रेडिट फ्लो में सुधार होगा।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल लोकसभा में पारित

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया।[20] यह बिल इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 में संशोधन करता है जो कॉरपोरेट देनदारों की इनसॉल्वेंसी को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया (330 दिनों में) प्रदान करती है जिसे कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) कहते हैं। बिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज़) के लिए वैकल्पिक इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया को पेश करता है जिसे प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (पीआईआरपी) कहा गया है। यह अप्रैल 2021 में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है।[21] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **देनदारों द्वारा पीआईआरपी की शुरुआत:** सीआईआरपी से अलग, पीआईआरपी केवल देनदारों के जरिए ही शुरू की जा सकती है। पीआईआरपी शुरू करने का आवेदन दाखिल करने के लिए अपने वित्तीय लेनदारों से मंजूरी प्राप्त करने से पहले देनदार के पास एक बेस रेज़ोल्यूशन प्लान होना चाहिए। पीआईआरपी के दौरान कंपनी का प्रबंधन देनदारों के पास होगा। देनदार को कम से कम 66% फाइनांशियल क्रेडिटर्स (क्रेडिटर्स पर बकाया ऋण के मूल्य में) की मंजूरी लेनी होगी। पीआईआरपी के दौरान कंपनी का प्रबंधन देनदारों के पास होगा।
- **डीफॉल्ट की न्यूनतम राशि**: कम से कम एक लाख रुपए का डीफॉल्ट होने की स्थिति में पीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए डीफॉल्ट की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए तक कर सकती है।
- **पीआईआरपी के अंतर्गत कार्रवाई**: देनदार को पीआईआरपी के शुरू होने के दो दिनों के भीतर आरपी को बेस रेज़ोल्यूशन प्लान देना होगा। पीआईआरपी के शुरू होने के सात दिनों के भीतर क्रेडिटर्स की कमिटी बनाई जाएगी जोकि बेस रेज़ोल्यूशन प्लान पर विचार करेगी।

कमिटी देनदार को यह मौका दे सकती है कि वह इस योजना में संशोधन करे। आरपी दूसरे लोगों से भी रेज़ोल्यूशन प्लान्स मांग सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में वैकल्पिक रेज़ोल्यूशन प्लान मांगे जा सकते हैः (i) अगर कमिटी बेस प्लान को मंजूरी नहीं देती, या (ii) वह ऑपरेशनल क्रेडिटर्स (वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित दावे) के ऋण को चुकाने में सक्षम नहीं।

- रेज़ोल्यूशन प्लान को कमिटी द्वारा कम से कम 66% वोटिंग शेयर से मंजूर होना चाहिए। इस प्लान को पीआईआरपी की शुरुआत से 90 दिनों के भीतर कमिटी द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए। कमिटी द्वारा मंजूर रेज़ोल्यूशन प्लान की जांच एनसीएलटी करेगी। अगर कमिटी ने किसी रेज़ोल्यूशन प्लान को मंजूर नहीं किया तो आरपी पीआईआरपी को खत्म करने के लिए आवेदन कर सकता है। अथॉरिटी को प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर या तो प्लान को मंजूरी देनी होगी या पीआईआरपी को समाप्त करने का आदेश देना होगा। पीआईआरपी के समाप्त होने के बाद कॉरपोरेट देनदार का लिक्विडेशन हो जाएगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट बैंक गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल 2021 राज्यसभा में पेश

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (संशोधन) बिल, 2021 को राज्यसभा में पेश किया।[22] बिल डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 में संशोधन करने का प्रयास करता है। एक्ट के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक डिपॉजिट्स और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। बिल जमाकर्ताओं को समय पर उनकी बीमित जमा राशि का एक्सेस देने का प्रयास करता है, अगर उन्हें अपनी बैंक जमा को एक्सेस करने से रोका जा रहा है।

- एक्ट के अंतर्गत कॉरपोरेशन किसी बीमित बैंक के जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है। यह उत्तरदायित्व तब उत्पन्न होता है जब बीमित बैंक निम्नलिखित स्थितियों का सामना करता है: (i) लिक्विडेशन, यानी बैंक के बंद होने पर सभी एसेट्स की बिक्री, (ii) योजना के अंतर्गत रीकंस्ट्रक्शन या कोई और व्यवस्था, या (iii) दूसरे बैंक, यानी ट्रांसफरी बैंक द्वारा विलय या अधिग्रहण। कॉरपोरेशन के जमाकर्ताओं को भुगतान करने के बाद लिक्विडेटर या बीमित या ट्रांसफरी बैंक (जैसा भी मामला हो) कॉरपोरेशन को उतनी ही राशि देने के लिए उत्तरदायी हो जाता है। इस तरह कॉरपोरेशन ने जितनी राशि चुकाई होती है, उतनी राशि की जमा के प्रति उसका दायित्व कम हो जाता है।
- **जमाकर्ताओं को अंतरिम भुगतान**: बिल कहता है कि कॉरपोरेशन अंतरिम आधार पर जमाकर्ताओं को बीमित जमा राशि चुकाने को उत्तरदायी होगा। यह उत्तरदायित्व उसी दिन से उत्पन्न हो जाएगा जब जमाकर्ताओं को अपनी बैंक जमा को एक्सेस करने से रोका जाता है। यह उत्तरदायित्व तब उत्पन्न होता है जब प्रतिबंध बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के अंतर्गत किसी आदेश या योजना के जरिए लगाए गए हैं। यह तब भी लागू होगा जब ऐसे आदेश या योजना बिल के पहले दिए या शुरू किए गए हैं लेकिन बीमित बैंक का कारोबार उसके लागू होने के समय सस्पेंडेड ही था।
- **अंतरिम भुगतान की समय अवधि**: बिल में अनिवार्य किया गया है कि जिस तारीख को वह उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है, उस तारीख से 90 दिनों के भीतर कॉरपोरेशन को जमाकर्ताओं को बीमित राशि चुकानी होगी। पहले 45 दिनों में बीमित बैंक को कॉरपोरेशन को सभी बकाया जमा के विवरण देने होंगे। विवरण प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कॉरपोरेशन दावों की सच्चाई की पुष्टि करेगा और प्रत्येक जमाकर्ता से यह पूछेगा कि क्या वे बीमित जमा राशि को लेने के इच्छुक हैं। पुष्टि के 15 दिनों के भीतर कॉरपोरेशन को जमाकर्ताओं को भुगतान करना होगा।
- जिस तारीख को कॉरपोरेशन जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है, उसे

अतिरिक्त 90 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार दिया जा सकता है, अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि बीमित बैंक के रीकंस्ट्रक्शन, प्रबंधन, विलय या अधिग्रहण की योजना को अंतिम रूप देने के लिए यह उचित है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2021 लोकसभा में पेश

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[23] बिल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) एक्ट, 1972 में संशोधन करता है।[24] भारत में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली सभी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए इस कानून को लागू किया गया था। बिल इस कानून के अंतर्गत रेगुलेट होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है। 1972 के एक्ट के अंतर्गत भारतीय जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) की स्थापना की गई थी। एक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत कंपनियों के कारोबार को जीआईसी की चार सबसिडियरी कंपनियों में पुनर्गठित किया गया था। ये कंपनियां हैं: (i) नेशनल इंश्योरेंस, (ii) न्यू इंडिया इंश्योरेंस, (iii) ओरिएंटल इंश्योरेंस और (iv) युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। 2002 में इस एक्ट में संशोधन किया गया ताकि जीआईसी की चार सबसिडियरी कंपनियों का नियंत्रण केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जा सके। इससे ये स्वतंत्र कंपनियां बन गई हैं। 2000 से जीआईसी विशेष रूप से रीइंश्योरेंस बिजनेस करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सरकार की शेयरहोल्डिंग की सीमा**: एक्ट में अपेक्षित है कि निर्दिष्ट बीमा कंपनियों (उपरोक्त पांच कंपनियों) में केंद्र सरकार की शेयरहोल्डिंग की सीमा कम से कम 51% होनी चाहिए। बिल इस प्रावधान को हटाता है।
- **सरकार के नियंत्रण का हस्तांतरण**: बिल में प्रावधान है कि जिस तारीख को केंद्र सरकार निर्दिष्ट बीमा कंपनी से अपना नियंत्रण छोड़ती है, उस तारीख से एक्ट उस कंपनी पर लागू नहीं होगा। नियंत्रण का अर्थ है: (i) निर्दिष्ट बीमा कंपनी के डायरेक्टर्स के बहुमत को नियुक्त करने की शक्ति, या (ii) उसके प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों पर नियंत्रण।
- एक्ट केंद्र सरकार को निर्दिष्ट बीमाकर्ताओं के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तों को अधिसूचित करने की शक्ति देता है। बिल में प्रावधान है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाओं को बीमाकर्ता द्वारा अपनाया गया माना जाएगा। बीमाकर्ता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन योजनाओं में बदलाव कर सकते हैं या नई नीतियां बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियां (एक्ट के अंतर्गत तैयार) बीमाकर्ता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हस्तांतरित हो जाएंगी।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (संशोधन) बिल, 2021 पेश

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (संशोधन) बिल, 2021 को राज्यसभा में पेश किया गया।[25] बिल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 में संशोधन करता है।[26] एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स (एलएलपी) के रेगुलेशन का प्रावधान करता है। एलएलपी परंपरागत पार्टनरशिप फर्म्स का वैकल्पिक कॉरपोरेट निकाय होती हैं। एलएलपी के अंतर्गत पार्टनरशिप की देयता कारोबार में उनके निवेश तक सीमित होती है। बिल कुछ अपराधों को सिविल डिफॉल्ट में बदलता है और इन अपराधों के लिए सजा की प्रकृति को बदलता है। यह छोटे एलएलपी को भी परिभाषित करता है, कुछ न्याय निर्णायक (एडजुडिकेटिंग) अधिकारियों की नियुक्ति और विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **कुछ अपराधों को गैर आपराधिक बनाना**: एक्ट में एलएलपीज़ के काम करने के तरीके को निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान करता है कि इन शर्तों का उल्लंघन करने पर जुर्माना

लगाया जाएगा (दो हजार रुपए से लेकर पांच लाख रुपए के बीच)। इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एलएलपी के पार्टनर्स में बदलाव, (ii) रजिस्टर्ड कार्यालय में बदलाव, (iii) स्टेटमेंट ऑफ एकाउंट और सॉल्वेंसी तथा वार्षिक रिटर्न को फाइल करना, और (iv) एलएलपी और उसके क्रेडिटर्स या पार्टनर्स के बीच समझौता और एलएलपी का रीकंस्ट्रक्शन या विलय। बिल इन प्रावधानों को अपराध से मुक्त करता है और इन पर मौद्रिक जुर्माना लगाता है।

- **एलएलपी के नाम में बदलाव**: एक्ट कहता है कि केंद्र सरकार एलएलपी को कुछ स्थितियों में अपना नाम बदलने का निर्देश दे सकती है (जैसे नाम अवांछनीय या ट्रेडमार्क के समान होने के कारण रजिस्ट्रेशन लंबित हो)। इस निर्देश का पालन न करने पर 10,000 रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। बिल इनमें से कुछ स्थितियों को हटाता है और केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह एलएलपी पर जुर्माना लगाने की बजाय उसे नया नाम दे सकती है।
- **धोखाधड़ी की सजा**: एक्ट के अंतर्गत अगर एक एलएलपी या उसके पार्टनर्स अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए या धोखाधड़ी के किसी अन्य उद्देश्य से कोई कार्य करती है तो जानबूझकर ऐसा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो साल तक की कैद होगी और 50,000 रुपए से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। बिल कैद की अधिकतम सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फाइनांसिंग सेवा के गठन के लिए फ्रेमवर्क जारी

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अथॉरिटी ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फाइनांसिंग सेवा प्लेटफॉर्म (आईटीएफएस) स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा जारी की है।[27] ये प्लेटफॉर्म कई फाइनांसर्स के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों की ट्रेड फाइनांसिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल प्रदान करेंगे।

- **स्वीकृत गतिविधियां:** निर्यातक, आयातक, फाइनांसर, और बीमा/क्रेडिट गारंटी संस्थान व्यापार वित्त से संबंधित काम कर सकते हैं जैसे निर्यात इनवॉयस ट्रेड फाइनांसिंग, रिवर्स ट्रेड फाइनांसिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत बिल डिस्काउंटिंग, निर्यात ऋण, और बीमा/क्रेडिट गारंटी।
- **पात्रता मानदंड**: अंतरराष्ट्रीय ट्रेड फाइनांसिंग सेवा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आवेदन करने वाली पेरेंट एंटिटी या कंपनी के प्रमोटर की न्यूनतम नेट वर्थ 10 लाख डॉलर होनी चाहिए। ट्रेड फाइनांसिंग सेवा प्लेटफॉर्म के तौर पर गठित होने वाली कंपनी का न्यूनतम पेड अप इक्विटी कैपिटल दो लाख डॉलर होना चाहिए।
- **भागीदारों की ऑन-बोर्डिंग**: आईटीएफएस पर निर्यातकों, आयातकों, फाइनांसर्स और इंश्योरेंस/क्रेडिट गारंटी संस्थानों की ऑन-बोर्डिंग अनिवार्य होगी। उन्हें आईटीएफएस को अधिकृत कर्मचारियों के विशिष्ट दस्तावेजों के साथ नो योर कस्टमर संबंधी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। इन कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म के ऑथराइजेशन के लिए यूजर क्रेडेंशियल्स दिए जाएंगे।
- आईटीएफएस और भागीदारों के बीच वन टाइम एग्रीमेंट किया जाएगा और उसमें फाइनांसर्स और आयातक भी शामिल होंगे। इससे दोनों एंटिटीज़ के बीच डीलिंग्स के नियम और शर्तें तय होंगी।

आरबीआई ने रीटेल डायरेक्ट स्कीम के विवरण जारी किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक ने रीटेल डायरेक्ट स्कीम के विवरण जारी किए हैं जिसे सरकारी सिक्योरिटीज़ में व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा निवेश को आसान बनाने हेतु वन-स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर डिजाइन किया गया है।[28] आरबीआई ने फरवरी 2021 में इस सुविधा की घोषणा की थी ताकि सरकारी

सिक्योरिटी मार्केट में रीटेल निवेशकों की पहुंच को आसान बनाया जा सके।[29] निवेशकों को आरबीआई में रीटेल डायरेक्ट गिल्ट एकाउंट (सरकारी सिक्योरिटीज़ के लिए एकाउंट) खोलना और मेनटेन करना होगा। इस योजना के जरिए निवेशकों की पहुंच सरकारी सिक्योरिटीज़ के प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट तक होगी। योजना के मुख्य विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सिक्योरिटीज़ के प्रकार:** इस योजना के लिए सरकारी सिक्योरिटीज़ में ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज़, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स और राज्य डेवलपमेंट लोन्स शामिल हैं।
- **पात्रता:** योजना के अंतर्गत रजिस्टर करने और रीटेल डायरेक्ट गिल्ट एकाउंट रखने के लिए निवेशकों को नो-योर-कस्टमर से संबंधित जरूरतों को पूरा करना होगा। यह योजना अनिवासी रीटेल निवेशकों के लिए भी खुली होगी जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट, 1999 के अंतर्गत सरकारी सिक्योरिटीज़ में निवेश करने के लिए पात्र हैं। आरबीआई के साथ रीटेल डायरेक्ट गिल्ट एकाउंट खोलने और बहाल रखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक नीलामी में बोली लगाने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोई शुल्क नहीं लेगा।

भारतीय बीमा कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के रेगुलेशंस में संशोधन अधिसूचित

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवपमेंट अथॉरिटी (भारतीय बीमा कंपनियां का रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशंस, 2000 में संशोधनों को अधिसूचित किया है।[30,31] संशोधन में इस बात की अपेक्षा है कि विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनियों में कुछ प्रबंधकीय पदों पर भारतीय नागरिक होंगे। इनमें 49% से अधिक विदेशी निवेश वाली बीमा कंपनियों के लिए कुछ शर्तों को भी जोड़ा गया है।

इन संशोधनों का उद्देश्य बीमा (संशोधन) एक्ट, 2021 के प्रावधानों में सामंजस्य स्थापित करना है।[32] संशोधन एक्ट ने भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया, और स्वामित्व और नियंत्रण पर कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया। 2000 के रेगुलेशंस में प्रमुख संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्वतंत्र डायरेक्टर:** संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि 49% से अधिक विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी के बोर्ड में कम से कम 50% स्वतंत्र डायरेक्टर होने चाहिए। अगर बोर्ड का चेयरपर्सन स्वतंत्र निदेशक है तो बोर्ड के कम से कम एक तिहाई पदों पर स्वतंत्र डायरेक्टर होने चाहिए।
- विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी में उसके अधिकतर डायरेक्टर और मुख्य प्रबंधक तथा बोर्ड के चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में से कम से कम कोई एक भारतीय नागरिक और निवासी होना चाहिए।
- **जनरल रिजर्व**: 49% से अधिक विदेशी निवेश वाली भारतीय बीमा कंपनी को कम से कम 50% शुद्ध लाभ को जनरल रिजर्व में रखना चाहिए। यह तब लागू होगा जब एक वित्तीय वर्ष में उसने इक्विटी शेयर्स पर लाभांश चुकाया है और उस वर्ष बीमाकर्ता के लिए इनसॉल्वेंसी मार्जिन सॉल्वेंसी के नियंत्रण स्तर से 1.2 गुना कम है। सॉल्वेंसी मार्जिन एक बीमा कंपनी की देनदारियों पर एसेट्स की अधिकता है। अगर कोई कंपनी सॉल्वेंसी के नियंत्रण स्तर का उल्लंघन करती है तो रेगुलेटरी कार्रवाई की जा सकती है।

सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में स्विंग प्राइज मैकेनिज्म शुरू करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने स्विंग प्राइजिंग मैकेनिज्म को पेश करने के लिए परामर्श पत्र जारी किया है।[33] इसमें खासकर बाजार डिस्लोकेशन के दौरान म्यूचुल फंड स्कीम्स में निवेशकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। म्यूचुअल फंड्स बड़ी संख्या में निवेशकों से धन लेते हैं और उसे स्टॉक और बॉन्ड्स में निवेश करते हैं। वित्तीय बाजार में डिस्लोकेशन तब होता है जब बाजार में

तनाव आने पर एसेट्स की सही कीमत नहीं लगाई जाती। स्विंग प्राइसिंग का मतलब, फंड की नेट एसेट वैल्यू को एडजस्ट करना, जोकि निवेशकों को फंड के इनफ्लो या आउटफ्लो से जुड़ी लेनदेन की लागतों पर मिलता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मौजूदा निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स में अपनी होल्डिंग्स के डायल्यूशन से सुरक्षित रखा जा सके।

सेबी ने ओपन एंडेड डेट स्कीम्स के लिए स्विंग प्राइजिंग के फ्रेमवर्क को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। ओपन एडंड डेट स्कीम में निवेशक लगातार यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। डेट स्कीम्स फिक्स्ड इनकम एसेट में निवेश करती हैं जैसे सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। परामर्श पत्र में सुझाव दिया गया है कि सामान्य स्थितियों में स्विंग प्राइजिंग वैकल्पिक होगा। बाजार के डिस्लोकेशन के दौरान इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सभी निवेशकों के लिए दो लाख रुपए तक और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पांच लाख रुपए तक के रीडंप्शन को स्विंग प्राइसिंग फ्रेमवर्क से छूट देने का प्रस्ताव है।

परामर्श पत्र पर 20 अगस्त, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

परिवहन

नैविगेशन के लिए मैरीन एड्स बिल संसद में पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

नैविगेशन के लिए मैरीन एड्स बिल, 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया।[34] उल्लेखनीय है कि लोकसभा ने इस बिल को मार्च 2021 में पारित कर दिया था। बिल भारत में नैविगेशन एड्स के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने का प्रयास करता है। यह लाइटहाउस एक्ट, 1972 को रद्द करता है जिसमें भारत में लाइटहाउसेज़ के रखरखाव और नियंत्रण का प्रावधान है।[34] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बिल का दायरा**: बिल पूरे भारत पर लागू होता है जिसमें टेरिटोरियल वॉटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न मैरीटाइम जोन्स शामिल हैं।
- **नैविगेशन में सहायता**: बिल के अनुसार, नैविगेशन एड वेसल (जलयान) के बाहर लगा ऐसा यंत्र, सिस्टम, या सेवा है जिसे वेसल और वेसल ट्रैफिक के सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए डिजाइन और ऑपरेट किया जाता है।
- **नैविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं का प्रबंधन**: केंद्र सरकार नैविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। इनके प्रबंधन से जुड़ी शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) नैविगेशन एड्स लगाना, उनका रखरखाव, एड्स को जोड़ना, उनमें फेरबदल या उन्हें हटाना, और (ii) एड्स के निरीक्षण के लिए अधिकृत करना जोकि नैविगेशन की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है।
- **ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन**: बिल में प्रावधान है कि वैध प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के बिना किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर नैविगेशन एड (एंसिलरी गतिविधियों सहित) या वेसल ट्रैफिक सेवा के संचालन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षण संगठनों को एक्रेडिट करेगी, या नैविगेशन एड्स और वेसल ट्रैफिक सेवाओं का संचालन करने वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करवाएगी।
- **सजा**: बिल कुछ अपराधों और सजा का प्रावधान करता है। उदाहरण के लिए नैविगेशन एड या वेसल ट्रैफिक सेवा के प्रभाव को जानबूझकर बाधित, कम या सीमित करने पर छह महीने तक की सजा या एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021 लोकसभा में पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया।[35] बिल भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक

रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2008 में संशोधन करता है। 2008 का एक्ट एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एयरा) की स्थापना करता है। एयरा भारत के मुख्य एयरपोर्ट्स की एयरोनॉटिकल सेवाओं के लिए टैरिफ और दूसरे शुल्क (जैसे एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस) को रेगुलेट करता है।

2008 के एक्ट के अनुसार, मुख्य एयरपोर्ट्स में ऐसे एयरपोर्ट्स आते हैं जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक कम से कम 35 लाख है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए किसी एयरपोर्ट को मुख्य एयरपोर्ट निर्दिष्ट कर सकती है। बिल में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट्स को ग्रुप कर सकती है और उस ग्रुप को मुख्य एयरपोर्ट के तौर पर अधिसूचित कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने बिल की समीक्षा की लेकिन उसमें संशोधनों का सुझाव नहीं दिया।[36]

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021 लोकसभा में पेश

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

इनलैंड वेसेल्स बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[37] यह इनलैंड वेसेल्स एक्ट, 1917 का स्थान लेता है।[38] एक्ट राज्यों द्वारा इनलैंड वेसेल्स यानी अंतर्देशीय जहाजों के परिवहन का रेगुलेशन करता है जिसमें जहाजों का रजिस्ट्रेशन और वस्तुओं एवं यात्रियों की सुरक्षित ढुलाई शामिल है। बिल देश भर में अंतर्देशीय नौपरिवहन के लिए एक समान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को पेश करने का प्रयास करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **यंत्र चालित (मैकेनिकली प्रोपेल्ड) अंतर्देशीय जहाज**: बिल के अनुसार, इस तरह के जहाजों की परिभाषा में शिप, नाव, पाल वाले जहाज, कंटेनर जहाज और फेरीज़ शामिल हैं। केंद्र सरकार इन जहाजों के संबंध में निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगी: (i) वर्गीकरण, (ii) डिजाइन, निर्माण और कर्मचारियों के आवास के मानक और (iii) सर्वे का प्रकार और उसकी अवधि। इन जहाजों के निर्माण या उनमें बदलाव के लिए नामित प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। इस प्राधिकारी का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- **संचालन**: अंतर्देशीय जलक्षेत्रों में संचालन के लिए सभी जहाजों के पास सर्वे सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसेल्स में रजिस्टर होना चाहिए (इस रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी)। यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देश भर में वैध होगा। सर्वे सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, उस प्रारूप में जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। सर्टिफिकेट में इन जहाजों के अंतर्देशीय जल क्षेत्रों का उल्लेख होगा (राज्य इन जल क्षेत्रों का सीमांकन करेंगे)। जहाजों का बीमा भी होना चाहिए, जिसमें जहाज के उपयोग के कारण मृत्यु, चोट या नुकसान की लायबिलिटी कवर होगी (दुर्घटनावश प्रदूषण सहित)।
- **अंतर्देशीय जहाजों का डेटाबेस**: केंद्र सरकार अंतर्देशीय जहाजों पर केंद्रीयकृत इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड रखेगी। इन रिकॉर्ड्स में निम्नलिखित पर सूचनाएं शामिल होंगी: (i) जहाजों का रजिस्ट्रेशन, (ii) चालक दल और मैनिंग, और (iii) जारी किए गए सर्टिफिकेट्स।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

स्टैंडिंग कमिटी ने एविएशन कनेक्टिविटी की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: टी.जी.वेंकटेश) ने देश में एविएशन कनेक्टिविटी की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[39] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोविड के बाद की स्थिति**: कमिटी ने एविएशन क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव पर गौर किया। उसने सुझाव दिया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को निम्नलिखित करना चाहिए: (i) अल्पावधि में एविएशन क्षेत्र के देय और शुल्कों को रद्द करना, (ii) एविएशन क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए पात्र

बनाना, और (iii) एयरलाइन उद्योग को सुव्यवस्थित ऋण देने के लिए पेशेवर तरीके से प्रबंधित क्षेत्रगत फंड बनाना।

- **हवाई किराया और कैंसिलेशन फी**: कमिटी ने गौर किया कि एयरलाइन्स खास तौर से फेस्टिव सीजन में बहुत अधिक हवाई किराया और कैंसिलेशन शुल्क वसूल रही हैं। उसने सुझाव दिया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हर क्षेत्र में इकोनॉमी क्लास के किराये की ऊपरी सीमा तय करनी चाहिए और एयरलाइन्स के लिए निम्नलिखित को अनिवार्य करना चाहिए: (i) यात्रियों से जमा किए गए कैंसिलेशन शुल्क को बेस किराये के अधिकतम 50% तक सीमित रखना, और (ii) कैंसिलेशन पर जमा किए गए टैक्स और फ्यूल सरचार्ज को रीफंड करना।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम (आरसीएस)**: केंद्र सरकार ने 2016 में आरसीएस-उड़ान योजना को शुरू किया था ताकि क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। कमिटी ने कहा था कि हालांकि आरसीएस ने यात्री ट्रैफिक को बढ़ाया है लेकिन हवाई कनेक्टिविटी बड़े पैमाने पर बड़े शहरों को जोड़ने वाले रूट्स तक सीमित है। उसने कहा कि आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत दिए गए रूट्स में से 40% से भी कम को अब तक ऑपरेशनल किया गया है। वर्तमान में आरसीएस के अंतर्गत मिलने वाले लाभ, जैसे आरसीएस रूट्स पर उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइन्स को वित्तीय सहयोग तीन वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि एयरलाइन्स कम लाभ वाले रूट्स को राजस्व अर्जित करने वाले रूट्स में बदल सकें, इसके लिए इस लाभ अवधि को दो वर्षों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। उसने यह सुझाव भी दिया कि आरसीएस के अंतर्गत कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी (एएआई) और राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली निष्क्रिय हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों को संचालित किया जाए।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

स्टैंडिंग कमिटी ने राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: टी.जी.वेंकटेश) ने 'राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी ने राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने में आने वाली रुकावटों को दूर करने के तरीके सुझाए। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फंडिंग:** कमिटी ने गौर किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर बहुत अधिक देनदारियां हैं (2021-22 के बजट अनुमानों का लगभग 33%)। एनएचएआई के ऋण भुगतान की लागत को कम करने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) भारतीय और विदेशी बीमा कंपनियों और पेंशन फंड्स से फंडिंग की संभावनाएं तलाशना, और (ii) आरबीआई से अनुरोध करना कि वह सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को प्रायॉरिटी सेक्टर लेडिंग का पात्र बनाए। बैंकों के सड़क क्षेत्र के स्ट्रेस्ड लोन्स को देखते हुए कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश फंड और भावी विकास वित्त संस्थान (2021-22 बजट सत्र में घोषित) के लिए बैंकों को दीर्घावधि के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की ऑफलोडिंग को अनिवार्य किया जाए।
- **कॉन्ट्रैक्ट्स देना**: कमिटी ने कहा कि सबसे कम बोली लगाने वाले को सड़क प्रॉजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट देने की पद्धति के कारण अव्यावहारिक नीलामी होती है। कॉन्ट्रैक्ट्स में सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) एक निम्न सीमा निर्धारित की जाए जिससे कम पर बोलियों को मंजूर न किया जाए, (ii) कॉन्ट्रैक्टर्स के काम की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए सेंट्रल डेटाबेस बनाना, (iii) छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को आकर्षित करने के लिए बड़े प्रॉजेक्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और (iv) केंद्रीय सतर्कता आयोग से सलाह के बाद टेंडर देने की प्रक्रिया में बदलाव करना।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

स्टैंडिंग कमिटी ने देश में पर्यटन स्थलों की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: टी.जी.वेंकटेश) ने 'देश में पर्यटन स्थलों की संभावना- कनेक्टिविटी और आउटरीच' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[40] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **स्वदेश दर्शन योजना:** देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स के एकीकृत विकास के लिए 2015 में स्वदेश दर्शन योजना (एसडीएस) को शुरू किया गया था। कमिटी ने कहा कि एसडीएस के अंतर्गत 15 में से सिर्फ एक सर्किट अब तक पूरा हुआ है। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) हिमालयी, बौद्ध और पूर्वोत्तर सर्किट्स के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाए, और (ii) पर्यटन सर्किट्स में ग्रामीण क्षेत्रों और अधिक शामिल किया जाए ताकि गरीबों को लाभ पहुंचे।
- **एयर कनेक्टिविटी**: कमिटी ने गौर किया कि अधिक एयर कनेक्टिविटी न होने की वजह से भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन का हिस्सा केवल 1.2% है। कमिटी ने सुझाव दिया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों तक उचित एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए निम्नलिखित किया जा सकता है: (i) जिन स्थलों पर सिर्फ घरेलू हवाई अड्डे हैं, वहां उन हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में तब्दील किया जाए, और (ii) बिना डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी वाले स्थलों के लिए नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएं।
- **क्रूज़ पर्यटन**: भारत में क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित का सुझाव दिया: (i) भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कायापलट, (ii) क्रूज़ पर्यटन की सुविधाओं को वहन करने योग्य बनाना, (iii) क्रूज़ लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान करना, (iv) भारत में विदेशी क्रूज़ ऑपरेटर्स को काम करने के लिए आमंत्रित करना, और (iv) उद्योग के लिए विशेष सरकारी यूनिट लगाना।
- **आउटरीच और पब्लिसिटी**: घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाया जाए जिसमें पूर्वोत्तर के लिए विशेष मीडिया रणनीति शामिल हो। ओवरसीज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के जरिए विदेशी पर्यटकों को लक्षित करना, और (ii) उच्च क्षमता विकास वाले देशों को कवर करने के लिए विदेशी पर्यटकों के आगमन का देशवार लक्ष्य निर्धारित करना।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत तीन एडवाइजरी ग्रुप्स बनाए गए

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्र में विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए तीन एडवाइजरी ग्रुप्स का गठन किया है।[41,42,43] ग्रुप्स का गठन निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए किया गया है: (i) एयरलाइन्स का संचालन और व्यावहारिकता, (ii) हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और क्षमता, (iii) कार्गो परिवहन और संचालन का रखरखाव और, (iv) मानव संसाधन की दक्षता। सभी तीनों ग्रुप्स की अध्यक्षता नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री करेंगे और इसमें नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री, मंत्रालय के सचिव और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के सदस्य शामिल होंगे। ग्रुप्स के संयोजन और कामकाज में निम्न शामिल हैं:

- **एयरलाइन्स का ग्रुप**: एयरलाइन्स के एडवाइजरी ग्रुप के अन्य सदस्यों में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट सहित सात एयरलाइन्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रुप सरकार को निम्नलिखित मामलों पर सलाह देगा: (i) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, (ii) यात्री और कार्गो सेवाओं को बढ़ाना, (iii)

एयरलाइन्स की वायबिलिटी को सुनिश्चित करना, और (iv) एयरक्राफ्ट्स की लीजिंग और वित्त पोषण।

- **हवाई अड्डों का ग्रुप**: हवाई अड्डों के एडवाइजरी ग्रुप के अन्य सदस्यों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव तथा भारतीय एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, भारतीय हवाई अड्डा अथॉरिटी और जीएमआर ग्रुप एवं अडानी ग्रुप जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्रुप सरकार को निम्नलिखित मामलों में सलाह देगा: (i) हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाना, (ii) हवाई अड्डों के इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण और उनका विस्तार, (iii) हवाई अड्डों में ग्राहकों के अनुभवों में सुधार, (iv) शुल्क संबंधी मुद्दे, और (v) निर्यात के पूंजी व्यय प्रदर्शन पर सलाह।
- **कार्गो, प्रशिक्षण और रखरखाव संबंधी ग्रुप**: मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार इस ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। इस ग्रुप के अंतर्गत चार सब-ग्रुप्स निम्नलिखित मामलों में काम करेंगे: (i) रखरखाव, मरम्मत और संचालन, (ii) ग्राउंड हैंडलिंग, (iii) कार्गो और (iv) फ्लाइट ट्रेनिंग संगठन। ग्रुप निम्नलिखित मामलों में सरकार को सलाह देगा: (i) इन क्षेत्रों में वृद्धि के लिए रणनीति, (ii) एयर कार्गो परिवहन में भागीदारिता बढ़ाना, (iii) एयरलाइन्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करना, (iv) एविएशन सेवाओं में सुधार।

ड्राफ्ट ड्रोन नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट ड्रोन नियम, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[44] ड्राफ्ट नियम एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए हैं और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स (यूएएस) नियम, 2021 का स्थान लेने का प्रयास करते हैं।[45] एक्ट भारत में नागरिक विमानों के निर्माण, अधिकार, संचालन और बिक्री को रेगुलेट करता है।[46] यूएएस नियम दूर से संचालित होने वाले और स्वायत्त विमानों के स्वामित्व और संचालन को रेगुलेट करते हैं। ड्राफ्ट नियम ड्रोन्स के संचालन में मंजूरियों और प्रतिबंधों को कम करने का प्रयास करते हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **भार की सीमा बढ़ाई गई:** इस समय यूएएस नियम 300 किलोग्राम से कम भार वाले ड्रोन्स पर लागू होते हैं। ड्राफ्ट नियम इस सीमा को बढ़ाकर 500 किलोग्राम करते हैं।
- **स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस को हटाना**: यूएएस नियमों में अनिवार्य किया गया है कि किसी भी ट्रेनिंग से पहले स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए। ड्राफ्ट नियम स्टूडेंट रिमोट पायलट के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म करते हैं और सिर्फ ड्रोन्स को चलाने के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस को अनिवार्य करते हैं।
- **एयरस्पेस का रेगुलेशन**: यूएएस नियमों के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में ड्रोन चलाने पर प्रतिबंध है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) छह हवाई अड्डों के आस-पास पांच किलोमीटर का घेरा, (ii) सीमा, कूटनीतिक महत्व के नागरिक और सैन्य इंस्टॉलेशंस के आस-पास के विभिन्न क्षेत्र, और (iii) पारिस्थितिकी के लिहाज से अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्र। ड्राफ्ट नियम इस सूची को खत्म करते हैं और केंद्र सरकार को भारत में ड्रोन संचालन के लिए मशीन-रीडेबल एयरस्पेस मैप छापने का अधिकार देते हैं। यह नक्शा भारतीय हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे रंग वाले क्षेत्रों में बांटेगा। लाल और पीले रंग के क्षेत्रों में ड्रोन संचालन के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है।

ड्राफ्ट नियमों पर 5 अगस्त, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

ड्राफ्ट केंद्रीय मोटर वाहन नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित; टेस्टिंग एजेंसियों के एक्रेडिटेशन के लिए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड अधिसूचित

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 को जारी किया है।[47] ड्राफ्ट नियमों को मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है

और ये केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने का प्रयास करते हैं।[48] एक्ट ड्राइविंग लाइसेंस देने और मोटर वाहनों के लिए स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करता है।[49] नियम मैन्यूफैक्चरिंग की मंजूरी लेने के लिए टेस्टिंग हेतु जाने वाले सभी मोटर वाहनों के प्रोटोटाइप को अनिवार्य करते हैं। नियम आगे निर्दिष्ट करते हैं कि इन वाहनों की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त टेस्टिंग एजेंसियों में की जा सकती है। ड्राफ्ट नियम टेस्टिंग एजेंसियों की मान्यता के लिए एक नए स्टैंडर्ड को अधिसूचित करने का प्रयास करते हैं। मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **सामान्य शर्तें**: ड्राफ्ट स्टैंडर्ड अनिवार्य करते हैं कि अनुपालन के उद्देश्य के लिए टेस्टिंग एजेंसी उपयुक्त टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता, टेक्निकली दक्ष श्रमशक्ति और प्रामाणित टेस्टिंग रिकॉर्ड का प्रदर्शन करे। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट पांच वर्षों के लिए वैध होगा।
- **एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट हासिल करना**: ड्राफ्ट स्टैंडर्ड्स प्रस्ताव करते हैं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को एसेसमेंट टीम को नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए। इस टीम में आवेदनों का मूल्यांकन करने की क्षेत्र विशेष विशेषज्ञता हो। टीम टेस्टिंग एजेंसी के परिसर के मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। जब ऑनसाइन मूल्यांकन पूरा हो जाएगा, तब एसेसमेंट टीम अपने मूल्यांकन के नतीजों पर एक लिखित रिपोर्ट देगी। अगर रिपोर्ट में पाया जाता है कि आवेदक टेस्टिंग एजेंसी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करती तो उसे रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिपोर्ट और टेस्टिंग एजेंसी की प्रतिक्रिया की समीक्षा के आधार पर सचिव एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट देगा।

ड्राफ्ट नियमों पर 26 अगस्त, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

भारतीय शिपिंग कंपनियों को सबसिडी देने वाली योजना को मंजूरी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने वाली एक योजना को मंजूरी दी। यह सबसिडी उन कंपनियों को दी जाएगी, जो कार्गो के आयात के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के ग्लोबल टेंडर्स के लिए आवेदन करती हैं।[50] इसके कार्यान्वयन के लिए 2021-26 के बीच 1,624 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पात्रता और रजिस्ट्रेशन:** पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं: (i) जहाज का निर्माण 20 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए (फरवरी 2021 तक), और (ii) योजना के लागू होने के बाद कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला हो।
- **सबसिडी**: कंपनियों को फ्लैगिंग और मैन्यूफैक्चरिंग की तारीख के आधार पर सबसिडी दी जाएगी। सबसिडी की राशि विदेशी शिपिंग कंपनी और भारतीय वेसेल के कोट किए हुए मूल्य के बीच के अंतर के आधार पर दी जाएगी। यह या तो कोट किए गए मूल्य के अंतर के प्रतिशत, या वास्तविक फर्क, जो राशि कम होगी, उस आधार पर दी जाएगी। अगर कोट किए गए मूल्य के प्रतिशत में अंतर के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी की दर पांच वर्ष के लिए वार्षिक 1% कम हो जाएगी। संबंधित विभाग को सीधी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 पारित

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया।[51] बिल किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) एक्ट, 2015 में संशोधन करता है। एक्ट में कानून से संघर्षरत बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं।[52] बिल में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उपाय किए गए हैं। मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एडॉप्शन**: एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश

के संभावित दत्तक (एडॉप्टिव) माता-पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता-पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करती है। अगर विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में अपने किसी संबंधी से बच्चा एडॉप्ट करना चाहता है तो उसे अदालत से एडॉप्शन का आदेश हासिल करना होगा। अदालत के आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता-पिता का है। बिल में प्रावधान किया गया है कि अदालत के स्थान पर, जिला मेजिस्ट्रेट एडॉप्शन के आदेश जारी करेंगे।

- **अपील**: बिल में प्रावधान है कि जिला मेजिस्ट्रेट के एडॉप्शन के आदेश से पीड़ित व्यक्ति आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर डिविजनल कमीशनर के सामने अपील दायर कर सकता है। अपील दायर करने की तारीख से चार हफ्ते के अंदर उसे निपटाया जाना चाहिए।
- **गंभीर अपराध**: एक्ट में प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड उस बच्चे की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। गंभीर अपराध वे होते हैं जिनके लिए तीन से सात वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती है। बिल में यह जोड़ा गया है कि गंभीर अपराधों में ऐसे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिए सात वर्ष से अधिक की अधिकतम सजा है, और न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं की गई है या सात वर्ष से कम की सजा है।
- **निर्दिष्ट अदालत**: एक्ट में प्रावधान है कि कानून के अंतर्गत बच्चों के खिलाफ अपराधों, जिनके लिए सात वर्ष से अधिक की जेल की सजा है, का मुकदमा बाल अदालत में चलाया जाएगा। अन्य अपराधों (सात वर्ष से कम की जेल की सजा वाले) के लिए ज्यूडीशियल मेजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। बिल में प्रस्ताव है कि एक्ट के अंतर्गत सभी अपराधों के लिए बाल अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कृषि

संसद ने निफ्टेम को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए बिल पारित किया

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान बिल, 2019 (निफ्टेम बिल) को संसद में पारित कर दिया गया।[53] बिल निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है: (i) कुंडली स्थित निफ्टेम, और (ii) तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे निफ्टेम तंजावुर कहा जाएगा)।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) बिल, 2021 को पारित किया

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) बिल, 2021 को पेश किया गया।[54] बिल नारियल विकास बोर्ड एक्ट, 1979 में संशोधन करता है। इस एक्ट के अंतर्गत नारियल उद्योग के विकास के लिए नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। यह बिल बोर्ड के संयोजन में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि उसके प्रबंधन और प्रशासन में सुधार किया जा सके। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बोर्ड का कामकाज**: एक्ट के अंतर्गत बोर्ड भारत में नारियल और उसके उत्पादों की मार्केटिंग में सुधार हेतु उपायों का सुझाव दे सकता है। बिल इस प्रावधान में यह और जोड़ता है कि बोर्ड भारत के बाहर भी नारियल और नारियल उत्पादों की मार्केटिंग हेतु सुझाव दे सकता है।
- एक्ट में बोर्ड को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह केंद्र एवं राज्य सरकारों की सलाह से उपयुक्त योजनाओं को वित्त पोषित कर सकता है जिससे नारियल का उत्पादन बढ़े और उसकी क्वालिटी में सुधार हो। यह उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहां नारियल बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता

है और इस वित्त पोषण का दायरा नारियल उत्पादन करने वाले सभी राज्यों तक बढ़ाता है।

- **प्रबंधन में परिवर्तन**: एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार बोर्ड के चेयरमैन को नियुक्त करती है और चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) के तौर पर भी काम करता है। बिल इस पद को दो हिस्सों में बांटता है- नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कैबिनेट ने पशुधन सेक्टर पैकेज के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के अंतर्गत 2025-26 तक पशुपालन और डेयरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी।[55] पैकेज के अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग की सभी योजनाओं का तीन श्रेणियों में विलय किया जाएगा:

- विकास कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय पशुधन मिशन शामिल हैं,
- रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं, और
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें पशुपालन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड शामिल हैं।

2021-26 के लिए पशुधन सेक्टर पैकेज हेतु 9,800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

सभी दालों (मूंग के अतिरिक्त) पर 31 अक्टूबर, 2021 तक स्टॉक लिमिट लगाई गईं

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 के अंतर्गत 31 अक्टूबर, 2020 तक कुछ दालों पर स्टॉक सीमा लागू करने का आदेश जारी किया था।[56] ये दालें अरहर, मसूर, उड़द और चना हैं। एक्ट केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण और व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। आम तौर पर कीमतों में तेज वृद्धि होने पर अनिवार्य वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक सीमाएं लगाई जाती हैं।

स्टॉक की सीमा निम्नलिखित तरीके से लागू है: (i) थोक व्यापारियों के लिए 500 मीट्रिक टन (एमटी) (बशर्ते कि एक किस्म की 200 एमटी से अधिक की नहीं होनी चाहिए), (ii) रीटेलर्स के लिए 5 एमटी, और (iii) मिल मालिकों के लिए पिछले छह महीनों के दौरान उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 50%, जो भी अधिक हो।

यदि किसी एंटिटी का स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे उपभोक्ता मामलों के विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी घोषणा करनी होगी। स्टॉक को 19 अगस्त, 2021 तक निर्धारित स्टॉक सीमा के भीतर लाना होगा।

रक्षा

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा बिल, 2021 पेश

लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा बिल, 2021 पेश किया गया।[57] बिल जून 2021 को जारी किए गए एक अध्यादेश का स्थान लेता है।[58] बिल केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में संलग्न इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आवश्यक रक्षा सेवा:** आवश्यक रक्षा सेवाओं में निम्नलिखित में संचालित होने वाली कोई भी सेवा शामिल है: (i) रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए जरूरी वस्तुओं या उपकरणों का निर्माण करने वाला कोई इस्टैबलिशमेंट या उपक्रम, या (ii) सशस्त्र बलों या उसने जुड़ा हुआ कोई इस्टैबलिशमेंट या रक्षा संबंधी कोई इस्टैबलिशमेंट। इनमें ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं, जो अगर रुक जाएं तो ऐसी सेवाओं से संलग्न इस्टैबलिशमेंट या उनके कर्मचारियों की सुरक्षा पर असर होगा। इसके अतिरिक्त सरकार किसी सेवा को आवश्यक रक्षा सेवा घोषित कर सकती

है, अगर उसके बंद होने से निम्नलिखित प्रभावित हों: (i) रक्षा उपकरण या वस्तुओं का निर्माण, (ii) ऐसा निर्माण करने वाले औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स या इकाइयों का संचालन या रखरखाव, या (iii) रक्षा से जुड़े उत्पादों की मरम्मत या रखरखाव।

- **हड़तालें**: बिल के अंतर्गत हड़ताल का अर्थ है, एक साथ काम करने वाले लोगों के संगठन का काम बंद करना। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सामूहिक रूप से कैजुअल लीव लेना, (ii) लोगों का काम जारी रखने या रोजगार मंजूर करने से एक साथ इनकार करना (ऐसे लोगों की संख्या कुछ भी हो सकती है), (iii) उस काम में ओवरटाइम करने से इनकार करना, जो आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिए जरूरी है, और (iv) ऐसा कोई आचरण जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं में रुकावट आती है, या आने की आशंका है।
- **हड़तालों, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध:** बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़तालों, तालाबंदी और छंटनियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार निम्नलिखित के हित के लिए जरूरी होने पर ऐसे आदेश दे सकती है: (i) भारत की संप्रभुता और एकता, (ii) किसी राज्य की सुरक्षा, (iii) सार्वजनिक व्यवस्था, (iv) जनता, (v) शालीनता, या (vi) नैतिकता। प्रतिबंध के आदेश छह महीने तक लागू रहेंगे और छह महीने के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। बिजली की कमी या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली छंटनी या अस्थायी या कैजुअल कर्मचारियों की छंटनी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी अवैध होगी। प्रतिबंध का आदेश देने के बाद कर्मचारियों को काम से निकालना अवैध होगा।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

पर्यावरण

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

एनसीआर और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग को गठित करने वाला बिल लोकसभा में पेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[59] बिल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तथा निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका हल करने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती इलाकों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर के क्षेत्र आते हैं जहां प्रदूषण का कोई स्रोत एनसीआर की वायु गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। बिल 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अथॉरिटी को भंग करता है। ऐसे ही एक आयोग वाला अध्यादेश अक्टूबर 2020 में जारी किया गया था।[60] यह अध्यादेश मार्च में लैप्स हो गया और फिर अप्रैल 2021 में फिर से जारी किया गया।[61] बिल 2021 के अध्यादेश को रद्द करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:[59]

- **आयोग का कामकाज:** आयोग के कामकाज में निम्नलिखित शामिल होगा: (i) संबंधित राज्य सरकारों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, (ii) एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने की योजनाएं बनाना और उन्हें अमल में लाना, (iii) वायु प्रदूषकों को चिन्हित करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना, (iv) तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के जरिए अनुसंधान और विकास करना, (v) वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाना और उसका प्रशिक्षण, और (vi) विभिन्न कार्य योजनाएं तैयार करना, जैसे पौधे लगाना और पराली जलाने के मामलों पर ध्यान दिलाना।

- **जुर्माना:** बिल के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पांच वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। बिल ने किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा है। हालांकि आयोग पराली जलने से होने वाले प्रदूषण पर किसानों से मुआवजा वसूल सकता है। केंद्र सरकार इस पर्यावरणीय मुआवजे को निर्दिष्ट करेगी। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

खनन लीज़ ट्रांसफर के मामलों में पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता में संशोधन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खनन लीज़ ट्रांसफर के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता में संशोधन किए हैं।[62] इससे पहले एक्सपायर होने वाली खनन लीज़ के ट्रांसफर के मामले में यह माना जाता था कि पर्यावरणीय मंजूरी भी नए लीज़ी को ट्रांसफर हो गई है।[63] ऐसे मामलों में मंजूरी तभी तक वैध होती थी, जब तक नया लीज़ी नई मंजूरी नहीं ले लेता।[63] नए लीज़ी को लीज़ मिलने की तारीख से दो वर्ष के अंदर नई मंजूरी लेनी होती थी। संशोधन में निर्दिष्ट किया गया है कि ट्रांसफर की स्थिति में पर्यावरणीय मंजूरी के सर्टिफिकेट को वैध माना जाएगा, हालांकि यह सर्टिफिकेट की मूल वैधता अवधि तक ही वैध होगा।[62] इसके अतिरिक्त नए लीज़ी को निम्नलिखित करना होगा: (i) परिवेश पोर्टल पर रजिस्टर करना, और (ii) ट्रांसफर की गई पर्यावरणीय मंजूरी की सभी शर्तों के अनुपालन की अंडरटेकिंग देनी होगी।[62] परिवेश पर्यावरणीय, वन, वन्य जीव और कोस्टल रेगुलेशन जोन संबंधी मंजूरियों को हासिल करने के लिए एक वेब-आधारित पोर्टल है।[64]

विधि एवं न्याय

ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश, 2021 पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 के विभिन्न पहलुओं पर फैसला दिया।[65] अध्यादेश को अप्रैल 2021 में जारी किया गया था ताकि नौ ट्रिब्यूनल्स को भंग किया जा सके और उनके कार्यों को दूसरे मौजूदा न्यायिक निकायों (मुख्यतया उच्च न्यायालय) को ट्रांसफर किया जा सके।[66] यह फाइनांस एक्ट, 2017 में संशोधन करता है और सर्च-कम-सिलेक्शन कमिटी के सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तों और संयोजन को निर्दिष्ट करता है।[66] इससे पहले इन प्रावधानों को 2017 के एक्ट के अंतर्गत नियमों में अधिसूचित किया गया था। अदालत के मुख्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:[65]

- **कार्यकाल:** अध्यादेश में निर्दिष्ट किया गया है कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है क्योंकि यह अदालत के पहले के फैसले का उल्लंघन करता है। अदालत ने पहले के फैसले में पांच वर्ष के कार्यकाल निर्धारित किया था।
- **न्यूनतम आयु की शर्त:** अध्यादेश में प्रावधान है कि ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की शर्त 50 वर्ष है। इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया, जिसका आधार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अदालत ने अपने पहले के फैसलों पर जोर दिया जिसमें 10 वर्ष के अनुभव वाले वकीलों की नियुक्ति की अनुमति के जरिए कम उम्र में भर्ती का सुझाव दिया गया था। अदालत ने कहा कि 50 वर्ष की न्यूनतम आयु की शर्त से ये नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी।
- **नियुक्ति का तरीका**: अध्यादेश में कहा गया था कि सिलेक्शन कमिटी ट्रिब्यूनल में दो नियुक्ति के लिए दो नामों का सुझाव दे। अदालत ने कहा कि यह प्रावधान पिछले फैसले का

उल्लंघन करता है और न्यायिक क्षेत्र में दखल देता है। इससे पहले अदालत ने निर्दिष्ट किया था कि कमिटी को एक पद के लिए एक नाम का सुझाव देना चाहिए और एक नाम को वेटिंग लिस्ट में रखना चाहिए। इसका उद्देश्य सदस्यों की नियुक्ति में कार्यपालिका की इच्छा को समाप्त करने था और इस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुनिश्चित करना था।

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान (97वां संशोधन) एक्ट के प्रावधानों को निरस्त किया

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान (97वां संशोधन) एक्ट, 2011 को राज्य सहकारी समितियों के संबंध में पढ़ा।[67] सहकारी समितियों के स्वायत्त और लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक्ट ने संविधान में भाग IX-B जोड़ा था।[68] एक्ट राज्य विधानसभाओं को सहकारी समितियों के निगमन, रेगुलेशन, समापन के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। 2013 में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस आधार पर एक्ट को रद्द कर दिया था कि अनुच्छेद 368 (2) के अंतर्गत आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। उसने कहा था कि चूंकि सहकारी समितियां राज्य का विषय हैं, इसलिए राज्य विधानसभाओं द्वारा पुष्टि के अभाव में एक्ट संविधान का उल्लंघन करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपील की सुनवाई के दौरान राज्य सहकारी समितियों के संबंध में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने बहु राज्यीय सहकारी समितियों के संबंध में एक्ट के प्रावधानों को बरकरार रखा। न्यायालय ने माना कि बहु-राज्यीय सहकारी समितियां कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद होती हैं इसीलिए संविधान की सातवीं अनुसूची में निर्धारित संघ सूची के अंतर्गत आती हैं।

कैबिनेट ने ज्यूडीशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु योजना को जारी रखने को मंजूरी दी

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 2021-26 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी।[69] यह योजना 1993-94 से चालू है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए संसाधन प्रदान करती है। योजना की लागत 2021-26 के लिए 9,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जिसमें से 5,357 करोड़ रुपए केंद्र सरकार प्रदान करेगी। वर्ष 2021-26 के दौरान इस धनराशि का उपयोग जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। यह धनराशि निम्नलिखित के निर्माण के लिए खर्च की जाएगी: (i) 3,800 कोर्ट हॉल्स, (ii) न्यायिक अधिकारियों के लिए 4,000 आवासीय इकाइयां, (iii) 1,450 वकीलों के हॉल्स, (iv) 1,450 शौचालय कॉम्प्लैक्स, और (v) 3,800 डिजिटल कंप्यूटर रूम्स।

इसके अतिरिक्त सरकार ने ग्राम न्यायालयों के संचालन के लिए 50 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। ग्राम न्यायालय भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली के लिए त्वरित और आसान पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

वाणिज्य

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था पर रिपोर्ट सौंपी

वाणिज्य संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: विजयसाई रेड्डी) ने 'भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) व्यवस्था की समीक्षा' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[70] आईपीआर वह अधिकार होते हैं, जोकि वैज्ञानिक विकास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं, कलात्मक कार्य, या ओरिजिनल रिसर्च के क्रिएटर्स को दिए जाते हैं। इनसे क्रिएटर्स को एक निश्चित अवधि के लिए इन्हें इस्तेमाल करने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिलता है। मुख्य निष्कर्षों

और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अनुसंधान और विकास**: कमिटी ने कहा कि भारत ने पेटेंट बहुत कम संख्या में दिए हैं (जिसकी वजह यह हो सकती है कि अनुसंधान और विकास पर बहुत कम खर्च किया जाता है, जीडीपी का 0.7%)। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) अनुसंधान के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग को धनराशि आबंटित करना, (ii) अनुसंधान करने के लिए निजी कंपनियों को इनसेंटिव्स देना, और (iii) बड़े उद्योगों को अनुसंधान के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स देने का निर्देश।
- **राष्ट्रीय आईपीआर नीति, 2016**: इस नीति को आईपीआर के प्रबंधन के लिए कानूनी और प्रशासनिक संरचना देने हेतु अपनाया गया था। कमिटी ने अपनी नीतियों के पुनर्मूल्यांकन और राज्य सरकारों को आईपीआर नीतियों को तैयार करने के अधिक अधिकार देने का सुझाव दिया जिसकी निगरानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है।
- **जालसाजी और पायरेसी**: जालसाजी और पायरेसी को रोकने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) विभागों के बीच समन्वय के जरिए कानून को कड़ाई से लागू करना, (ii) प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना (जैसे राज्य पुलिस में आईपीआर सेल्स), और (iii) उससे होने वाले राजस्व की हानि का अनुमान लगाने की विधि स्थापित करना। उसने दुरुपयोग को रोकने और मार्केटिंग के फायदे हासिल करने के लिए उत्पादों को 'पेटेंट पेंडिंग' के तौर पर लेबल करने का सुझाव दिया (यानी पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया लेकिन अभी तक पेटेंट मिला नहीं)।
- **आईपी अपीलीय बोर्ड**: कमिटी ने सुझाव दिया कि ट्रिब्यूनल सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा की शर्तें) अध्यादेश, 2021 के अंतर्गत आईपी अपीलीय बोर्ड के खत्म करने पर दोबारा विचार किया जाए। क्योंकि इससे न्यायिक मामलों के लंबित रहने की अधिक आशंका है। उसने सुझाव दिया कि इसे खत्म करने से पहले न्यायिक प्रभाव आकलन और परामर्श किया जाए।
- **कोविड-19**: कमिटी ने सुझाव दिया कोविड-19 संबंधी दवाओं और वैक्सीन्स के लिए पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया जाए ताकि उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके। उसने सुझाव दिया कि भविष्य में आपात स्थिति में महत्वपूर्ण दवाओं और वैक्सीन्स पर अनिवार्य लाइसेंस देने में कोई भी देरी न की जाए।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

एमएसएमईज़

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने एमएसएमईज़ पर कोविड-19 के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. के. केशवा राव) ने 'एमएसएमई क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव और उसे कम करने के लिए अपनाई गई रणनीति' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[71] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लॉकडाउन का असर**: कमिटी ने गौर किया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बड़ी संख्या में नौकरियां चली गईं और परिवारों की नियमित आय में बहुत अधिक गिरावट हुई। उसने यह भी कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने क्षेत्र में होने वाले वास्तविक नुकसान का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन नहीं किया। उसने सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) वास्तविक नुकसान का आकलन करने के लिए विस्तृत अध्ययन, (ii) नई राष्ट्रीय रोजगार नीति पर विचार करना और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार कार्यालय की संभावनाएं तलाशना, और (iii) जॉब मैचिंग के लिए नौकरियों का तलाश करने वालों का दक्षता आधारित एक डेटाबेस तैयार करना।

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) बैक-एंड सेवाओं जैसे अनुसंधान और विकास में निवेश, और (ii) एमएसएमईज़ द्वारा

डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना।

- **स्टिमुलस पैकेज**: कमिटी ने गौर किया कि सरकार का स्टिमुलस पैकेज एमएसएमईज़ के लिए पर्याप्त नहीं था। यह कैश फ्लो में सुधार करके तत्काल राहत देने की बजाय लोन देने और दीर्घकालीन समाधान पर अधिक केंद्रित था। कमिटी ने सरकार को बड़ा आर्थिक पैकेज देने का सुझाव दिया। उसने यह भी गौर किया कि स्टिमुलस पैकेज का लाभ सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को उचित तरीके से नहीं मिला। उसने कहा कि इस संबंध में अतिरिक्त प्रयास किए जाने की जरूरत है।
- **इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)**: 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ईसीएलजीएस को शुरू किया गया था ताकि एमएसएमईज़ को परिचालनगत देनदारियों को पूरा करने और अपना कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए मदद दी जा सके। कमिटी ने कहा कि तीन लाख करोड़ रुपए की कुल गारंटीशुदा राशि का केवल लगभग 50% एमएसएमईज़ को जारी किया गया। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) बैंकों को क्रेडिट सुविधाएं देने में अधिक उदारता दिखानी चाहिए और एमएसएमईज़ के लिए विशेष तौर से अलग काउंटर खोलने चाहिए, (ii) छोटे व्यापारियों/डीलर्स को योजना के लाभ देने चाहिए, और (iii) क्रेडिट गारंटी की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

खुदरा और थोक व्यापार गतिविधियां एमएसएमईज़ के तौर पर वर्गीकृत किए जाने की पात्र

खुदरा और थोक व्यापार गतिविधियों को एमएसएमई विकास एक्ट, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र गतिविधियों की सूची में वापस शामिल किया गया है।[72] जून 2017 में इन गतिविधियों को इस सूची से बाहर कर दिया गया था।[73] उद्यमों को वार्षिक कारोबार के समग्र मानदंड और संयंत्रों, मशीनरी या उपकरण में निवेश के आधार पर एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया गया है।[74]

एमएसएमई मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि खुदरा और थोक व्यापार एमएसएमईज़ को लाभ केवल प्रायोरिटी सेक्टर लेडिंग तक ही सीमित रहेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेडिंग के अंतर्गत बैंकों (और कम से कम 20 शाखाओं वाले विदेशी बैंकों) को कृषि और एमएसएमई जैसे कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शुद्ध बैंक ऋण का 40% हिस्सा ऋण के रूप में देना आवश्यक है।[75] सामान्य तौर पर एमएसएमई को ऋण पर ब्याज सब्सिडी, क्रेडिट गारंटी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजी सब्सिडी, बाजार विकास सहायता और विलंबित भुगतान से संरक्षण जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।[76]

संस्कृति

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों के विकास एवं संरक्षण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: टी. जी. वेंकटेश) ने म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों के विकास और संरक्षण-चुनौतियां और अवसर' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[77] मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **संरक्षण और परिरक्षण (कंज़रवेशन और प्रिज़रवेशन)**: कमिटी ने सुझाव दिया कि जहां संभव हो, वहां संरक्षण के लिए विश्वव्यापी सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया जाए। उसने संस्कृति मंत्रालय को सुझाव दिया कि कलाकृतियों के परिरक्षण और आर्काइवल रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए एक मॉडल प्रक्रिया की स्थापना की जाए। इससे निरंतरता बनी रहेगी और मानकों के अनुरूप कॉन्ट्रैक्टर्स के काम का मूल्यांकन किया जा सकेगा।
- **टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल**: कमिटी ने सुझाव दिया कि म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों के रखरखाव में सुधार के लिए विशिष्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। इसमें निम्नलिखित

शामिल हैं: (i) गैलरीज़ में वर्चुअल रियैलिटी का इस्तेमाल, (ii) डिजिटलीकृत कलाकृतियों और पुरातात्विक स्थलों का केंद्रीय डेटाबेस, और (iii) कलाकृतियों और पुरातात्विक स्थलों को कैटेलॉग करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।

- **कर्मचारी और प्रशिक्षण**: कमिटी ने गौर किया कि म्यूजियम्स में अक्सर कर्मचारियों की कमी होती है। एएसआई में ही 29% रिक्तियां हैं। यह देखते हुए कि आगामी भारतीय विरासत और संरक्षण संस्थान अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकता है, कमिटी ने संस्कृति मंत्रालय को म्यूजियम्स के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए बजटीय आबंटन बढ़ाने का सुझाव दिया।
- **वित्त पोषण**: कमिटी ने डोनेशंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और स्पांसरशिप्स के जरिए म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों के वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। राजस्व बढ़ाने के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) पे-एज़-यू-विश टिकट्स शुरू करना, जहां विजिटर्स न्यूनतम टिकट मूल्य के अलावा धन का भुगतान कर सकते हैं, (ii) एक विशिष्ट कलाकृति को संभालने या पुरातात्विक स्थलों के लिए 'एडॉप्ट अ हेरिटेज' योजना के लिए योगदान देना, और (iii) पब्लिक आवर्स (जब आम लोग किसी स्थल को देखने जाते हैं) के बाद उच्च कीमतों पर भ्रमण। म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक-निजी मॉडल्स को शुरू किया जा सकता है।
- **सुरक्षा**: म्यूजियम्स और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा के लिए कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) सिक्योरिटी सिस्टम्स और सर्विलांस कैमरों को लगाना, (ii) सशस्त्र कर्मियों की गश्त, और (iii) एएसआई के स्थलों का फिजिकल सिक्योरिटी ऑडिट करना। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि हर म्यूजियम और एएसआई स्थल में आपदा प्रबंधन योजना लागू करे।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

श्रम

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

श्रम संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: भर्तृहरि महताब) ने नेशनल इंस्टीट्यूटी ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के कामकाज पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[78] कमिटी ने फैशन टेक्नोलॉजी में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने में निफ्ट की भूमिका का मूल्यांकन किया और इस बात की जांच की कि उसे सरकारी सहयोग की कितनी जरूरत है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करना वाला संस्थान है और देश भर में इसके 17 कैंपस हैं। 2006 में निफ्ट एक्ट, 2006 के जरिए इसे वैधनिक संस्थान बनाया गया। निफ्ट टेक्सटाइल और एपेरल उद्योग को पेशेवर मानव संसाधन प्रदान करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्ष और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता**: निफ्ट अंडरग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट और डॉक्टोरल स्टडीज़ में विभिन्न डिग्रियां देता है। कमिटी ने कहा कि निफ्ट की इन डिग्रियों को यूजीसी से मान्यता नहीं है। उसने सुझाव दिया कि इस विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए और निफ्ट की डिग्रियों को यूजीसी से मान्यता मिलनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा**: कमिटी ने कहा कि संस्थान लंबे समय से इस बात की मांग कर रहा है कि उसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता मिले। कमिटी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने से निफ्ट को फैशन उद्योग में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इसलिए उसने सुझाव दिया कि निफ्ट को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की मान्यता मिलनी चाहिए।
- **बजटीय सहयोग**: निफ्ट को 1986-87 से 2006-07 के बीच केंद्र सरकार से विभिन्न अनुदान मिले। 2007-08 के बाद उसे पांच वर्ष

की अवधि के लिए हर वर्ष 10 करोड़ रुपए मिले जिसे 2013-14 में बंद कर दिया गया। कमिटी ने कहा कि 2013-14 से निफ्ट को अपने राजस्व और प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्त पोषण या अनुदान नहीं मिला है। उसने सुझाव दिया कि निफ्ट को पर्याप्त वित्त पोषण मिले, टेक्सटाइल मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

शिक्षा

मेडिकल शिक्षा में अखिल भारतीय कोटा योजना में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को मंजूरी

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2021-22 से अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी।[79] इस आरक्षण के लिए ओबीसी की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा। आरक्षण स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर मेडिसिन और डेंटिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए प्रदान किया जाएगा।

अखिल भारतीय कोटा योजना विद्यार्थियों को दूसरे राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन के लिए अधिवास-मुक्त योग्यता-आधारित अवसर प्रदान करती है। अखिल भारतीय कोटा में कुल यूजी सीटों का 15% और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल पीजी सीटों का 50% शामिल है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) एक्ट, 2006 ने सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को एक समान 27% आरक्षण प्रदान किया है।[80] हालांकि इसमें राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की अखिल भारतीय कोटा सीटें शामिल नहीं थीं।

2026-27 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता हासिल करना है।[81] इसका तात्पर्य यह है कि कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चे को कॉन्प्रेहेंशन के साथ पढ़ने, लिखने, बुनियादी गणितीय क्रियाकलाप करने और बुनियादी जीवन कौशल सीखने में सक्षम होना चाहिए। इसे 2026-27 तक प्राप्त करने के लिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी (निपुन भारत) नामक एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है।[82]

मिशन विभिन्न ग्रेड स्तरों पर सीखने के परिणाम प्राप्त करने के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्दिष्ट करता है। विद्यार्थियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए स्कूल आधारित मूल्यांकन और बड़े पैमाने पर मानकीकृत मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भाषा की बाधा को दूर करने और पीयर लर्निंग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा।[83] योजना को लागू करने के लिए (राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर) एक पांच स्तरीय संरचना होगी। राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होगा: (i) प्रत्येक ग्रेड के लिए विषय के आधार पर मापने योग्य शिक्षण परिणामों की एक सूची तैयार करना, (ii) दक्षता स्तरों को मापने के लिए टूल किट तैयार करना, और (iii) मिशन की प्रगति की निगरानी और ट्रैक करने के लिए मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली बनाना। राज्य निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होंगे: (i) आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं बनाना, (ii) प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और (iii) भागीदारों की पहचान करना और उनके साथ काम करना।

एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के लिए रेगुलेशंस अधिसूचित किए गए

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन) रेगुलेशन, 2021 को अधिसूचित किया।[84] रेगुलेशन एक एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना करते हैं, जो सभी पंजीकृत उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) से विद्यार्थियों के एकैडमिक क्रेडिट को स्टोर करने वाली एक ऑनलाइन इकाई होगी। यह एक क्रेडिट ट्रांसफर मैकैनिज्म को एनेबल करेगा, जिसमें विद्यार्थी उनकी पसंद के समय, स्थान और सीखने के स्तर के अनुसार अपनी उच्च शैक्षिक डिग्री को तैयार कर सकेंगे। उल्लेखनीय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एबीसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।[85] एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है:

- **वैधता**: पंजीकृत एचईआई में पाठ्यक्रम शुरू करने से प्राप्त क्रेडिट शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों द्वारा अर्जित क्रेडिट क्रेडिटिंग के बाद अधिकतम सात वर्षों तक वैध रहेगा। एक बार क्रेडिट का उपयोग हो जाने के बाद उन्हें विद्यार्थी के खाते से डेबिट कर दिया जाएगा।
- **एबीसी की उपलब्धता:** एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट निम्नलिखित के लिए उपलब्ध होगा: (i) स्वयम और निप्टेल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी निर्दिष्ट विश्वविद्यालय में पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम, (ii) थ्योरी, प्रैक्टिकल और दक्षता आधारित क्रेडिट कोर्स, अगर अलग-अलग प्रस्तुत किए जाते हैं, (iii) कॉन्टैक्ट, नॉन-कॉन्टैक्ट और फ्यूचरिस्टिक लर्निंग मोड्स सहित सभी लर्निंग मोड्स।
- **मान्यता:** रेगुलेशंस एकैडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को विद्यार्थी द्वारा चुने गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट मान्यता और क्रेडिट रीडंप्शन देना अनिवार्य करते हैं। चुने गए पाठ्यक्रमों का किसी विशेष विषय के अंतर्गत होना जरूरी नहीं है। रेगुलेशंस में कहा गया है कि एबीसी के साथ अर्जित और जमा किए गए क्रेडिट का उपयोग संबंधित शिक्षा स्तर (प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, या स्नातकोत्तर डिप्लोमा) के रीडंप्शन के लिए किया जा सकता है।

स्वास्थ्य

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस पर टिप्पणियां आमंत्रित

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस (यूएचआई) पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।[86] यूएचआई राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम (एनडीएचई) के निर्माण खंडों में से एक है। एनडीएचई का अर्थ है, डेटा और बुनियादी ढांचे का इको-सिस्टम जिसका उद्देश्य डेटा सिस्टम और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है।[87] इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करना भी है। यूएचआई का उद्देश्य इस इको-सिस्टम में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाना है। यूएचआई के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:[86]

- **यूएचआई का आर्किटेक्चर**: यूएचआई डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक ओपन प्रोटोकॉल होगा। ओपन प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रणाली होती है जहां सेवाओं की पेशकश करने वाला प्लेटफॉर्म किसी एक इकाई के स्वामित्व में नहीं होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्लेटफॉर्म पर कई सेवा प्रदाताओं से विविध सेवा विकल्प मिल सकें। यूएचआई से स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में इंटरऑपरेबिलिटी हासिल होगी।
- **यूएचआई विकास, गवर्नेंस और मैनेजमेंट**: राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) यूएचआई के विकास, गवर्नेंस और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होगा। एनडीएचएम भारत में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए डिजिटल इको-सिस्टम को लागू करने के लिए मिशन आधारित पहल है।

प्रारंभिक यूएचआई ओपन प्रोटोकॉल तैयार करने, डिजाइन करने और प्रकाशित करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। इन प्रोटोकॉल को विशेषज्ञों (सरकार, शिक्षा और उद्योग से), और जनता के परामर्श के बाद अपनाया जाएगा।

यूआईएच पर 23 अगस्त, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नीति आयोग ने भारत में रीन्यूएबल्स इंटिग्रेशन पर रिपोर्ट जारी की

नीति आयोग ने 'भारत में रीन्यूएबल्स इंटिग्रेशन' पर रिपोर्ट जारी की।[88] रीन्यूएबल्स इंटिग्रेशन का अर्थ होता है, मेनस्ट्रीम पावर सिस्टम में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण को शामिल करना। रिपोर्ट अक्षय ऊर्जा क्षमता के बढ़ते हिस्से को एकीकृत करने के तरीकों का सुझाव देती है। रिपोर्ट में गौर किया गया है कि भारत में सोलर और विंड एनर्जी 2030 के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी (लक्ष्य 450 गिगावॉट का है)। मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **रीन्यूएबल इंटिग्रेशन की चुनौतियां**: रिपोर्ट में भारत के राज्यों में रीन्यूएबल इंटिग्रेशन को हासिल करने में निम्नलिखित मुख्य चुनौतियों को प्रस्तुत किया गया है: (i) राज्यों के कुछ क्षेत्रों या कुछ राज्यों में सोलर विंड एनर्जी वाले स्थलों के केंद्रित होने के कारण सीमित अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन्स, (ii) नए मांग स्रोतों से पीक मांग में बढ़ोतरी (जैसे एयर कंडीशनर्स और इलेक्ट्रिक वाहन), और (iii) क्षेत्रीय स्तरों पर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में फ्लकचुएशंस का बढ़ना।
- **पावर सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी**: रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य को पावर सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए सभी संभावित स्रोतों का फायदा उठाना चाहिए। उसका सिस्टम भी इतना कुशल होना चाहिए कि बिजली की मांग और आपूर्ति में बदलाव होने पर उत्पादन या खपत में बदलाव किया जा सके। फ्लेक्सिबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट में मुख्य विकल्पों का सुझाव दिया गया है: (i) बैटरी स्टोरेज, (ii) स्मार्ट मीटर्स, (iii) मांग का पूर्वानुमान लगाने वाले उपकरण, और (iv) अंतर क्षेत्रीय ट्रांसफर और सीमा पारीय ट्रांसमिशन लाइन्स। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में क्षेत्रीय स्तर तथा राज्य स्तर के मॉडल का प्रावधान है जोकि बढ़ती अक्षय ऊर्जा के प्रभाव और देश में फ्लेक्सिबिलिटी सॉल्यूशंस की भूमिका का मूल्यांकन करे।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

संचार

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

सिम कार्ड्स के पर्सनलाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए गए

संचार विभाग ने सिम कार्ड के पर्सनालाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए हैं।[89] पर्सनालाइजेशन का अर्थ है, लाइसेंस टेलीकॉम ऑपरेटर सहित ऑपरेटिंग सिस्टम और कीज़ को चिपसेट में लोड करना। एसओपी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और सिम मैन्यूफैक्चरर्स पर लागू होगा। एसओपी की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पर्सनालाइजेशन की प्रक्रिया**: ऑपरेटिंग सिस्टम को देश के भीतर संरक्षित वातावरण में विकसित किया जाना चाहिए। जहां भारत के बाहर के वैश्विक ग्राहकों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया जाता है, वहां इसका एकीकरण, सुरक्षा परीक्षण और चिपसेट में लोडिंग देश के भीतर ही की जानी चाहिए। सिम हार्डवेयर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना देश के भीतर सिम मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा की जानी चाहिए।
- **सिक्योरिटी कंट्रोल्स:** मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर और सिम पर्सनालाइजेशन एजेंसी को सिम

पर्सनालाइजेशन लाइफसाइकिल के लिए संगठनात्मक सुरक्षा नीति तैयार करनी चाहिए। सुरक्षा नीति में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) सिम पर्सनालाइजेशन एरियाज़ की भौतिक सुरक्षा, (ii) ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को मेनटेन करना, (iii) सिम पर्सनालाइजेशन पूरा होने के बाद ऑपरेटर विशिष्ट डेटा का निपटान, (iv) सुरक्षित की मैनेजमेंट के लिए प्रक्रियाएं, और (v) घटना प्रबंधन नीतियां।

[1] Parliament Session Alert, July 15, 2021, https://prsindia.org/sessiontrack/monsoon-session-2021/session-alert.

[2] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on August 1, 2021, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[3] "Cumulative Coverage Report of COVID-19 Vaccination", Ministry of Health and Family Welfare, August 1, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/CummulativeCovidVaccinationReport31july2021.pdf.

[4] Order No 40-3/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, July 28, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_extendexistingorder_28072021.pdf.

[5] Order No 40-3/2020-DM-I (A), Ministry of Home Affairs, June 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_2962021.pdf.

[6] Order No 40-3/2020-DM I (A), Ministry of Home Affairs, April 29, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_29042021.pdf.

[7] Cabinet approves "India COVID 19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package: Phase II" at a cost of Rs 23,123 crore, Press Information Bureau, July 8, 2021, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1733841.

[8] "Government Reforms and Enablers, Major announcements and policy reforms under Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan", MyGov, May 17, 2020, https://blog.mygov.in/wp-content/uploads/2020/05/Aatma-Nirbhar-Bharat-Presentation-Part-5.pdf.

[9] Order No AV- 12014/1/2020-A, Ministry of Civil Aviation, July 19, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/India-USA-Bubble.pdf.

[10] "India has Air Bubble Agreements with 10 Countries", Press Information Bureau, Ministry of Civil Aviation, Sep 17, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1655673#:~:text=India%20has%20entered%20into%20Air,2020.

[11] No.2 (10)/2020-CLeS, Ministry of Electronics and Information Technology, May 11, 2020, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Aarogya_Setu_data_access_knowledge_Protocol.pdf.

[12] No.2 (10)/2020-CLeS, Ministry of Electronics and Information Technology, November 10, 2020, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Order_arogya_Setu10112020.pdf.

[13] "Notification of the Aarogya Setu Data Access and Knowledge Sharing Protocol, 2020 in light of the COVID-19 pandemic", Ministry of Electronics and Information Technology, July 29, 2021, https://www.meity.gov.in/content/notification-aarogya-setu-data-access-and-knowledge-sharing-protocol-2020-light-covid-19-0.

[14] "CPI Index Current Series (Base 2012) – Jan 2013 onwards", Website of Ministry of Statistics and Programme Implementation, as accessed on July 23, 2021, http://164.100.34.62:8080/TimeSeries_2012.aspx.

[15] "Index Files for WPI Series (Base: 2011-12)", Website of the Office of the Economic Advisor, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, as accessed on July 23, 2021, https://eaindustry.nic.in/download_data_1112.asp.

[16] First Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government in 2021-22, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, July 20, 2021, https://dea.gov.in/sites/default/files/Final%20%281st%20Suppl.%29.pdf.

[17] "₹75,000 crore released to States and UTs with Legislature as GST Compensation shortfall", Press Information Bureau, Ministry of Finance, July 15, 2021.

[18] Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Finance, July 26, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/115-C_2020_LS_Eng.pdf.

[19] 24th Report: The Factoring Regulation (Amendment) Bill, 2020, Standing Committee on Finance, February 3, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Finance/17_Finance_24.pdf.

[20] Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Corporate Affairs, July 26, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/104_2021_LS_Eng.pdf.

[21] Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2021, Ministry of Corporate Affairs, April 4, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-04-04/IBC%20Ordinance%202021.pdf.

[22] The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Finance, July 30, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/asintroduced/deposit%20insurance-E.pdf.

[23] The General Insurance Business (Nationalisation) Amendment Bill, 2021, Ministry of Finance, Lok Sabha, July 30, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/115_2021_LS_Eng.pdf.

[24] The General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1972-57.pdf.

[25] The Limited Liability Partnership (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Corporate Affairs, Rajya Sabha, July 30, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/asintroduced/LLP%20as%20int-E.pdf.

[26] The Limited Liability Partnership Act, 2008, Legislative Department, Ministry of Law and Justice, https://legislative.gov.in/sites/default/files/The%20Limited%20Liability%20Partnership%20Act,%202008.pdf.

[27] Framework for setting up of International Trade Financing Services Platform ('ITFS') for providing Trade Finance Services at International Financial Services Centres, International Financial Services Centres Authority, July 9, 2021, https://ifsca.gov.in/Viewer/Index/197.

[28] Retail Direct Scheme: Allowing Retail Investors to Open Gilt Accounts with RBI, Reserve Bank of India, July 12, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR518EFB79D5C944E4EDD8D774AA57DE846F0.PDF.

[29] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, February 5, 2021, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=51078.

[30] IRDAI (Indian Insurance Companies) (Amendment) Regulations, 2021, Website of Insurance Regulatory and Development Authority of India, July 9, 2021, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4524&flag=1.

[31] Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/Uploadedfiles/Regulations/Consolidated/IRDA%20(Registration%20of%20Indian%20Insurance%20Companies)%20Regulations2000.pdf.

[32] Insurance (Amendment) Act, 2021, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/frmGeneral_NoYearLayout.aspx?page=PageNo4425.

[33] Consultation Paper on Introduction of Swing Pricing, Website of Securities and Exchange Board of India, July 19, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/jul-2021/consultation-paper-for-introduction-of-swing-pricing_51234.html.

[34] The Marine Aids To Navigation Bill, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-03-15/The%20Marine%20Aids%20To%20Navigation%20Bill,%202021.pdf.

[35] The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021, as introduced in Lok Sabha on March 24, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/77_2021_LS_Eng.pdf.

[36] Report No. 292: The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021, Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture, July 22, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/148/292_2021_7_16.pdf.

[37] The Inland Vessels Bill, 2021, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, July 22, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/99_2021_LS_Eng.pdf.

[38] The Inland Vessels Act, 1917, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1917-01.pdf.

[39] Report no. 293, Standing Committee on Transport, Tourism and Culture: 'Status of Aviation Connectivity in the country', Rajya Sabha, July 23, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/148/293_2021_7_12.pdf.

[40] 1 Report no. 295, Standing Committee on Transport, Tourism and Culture: 'Potential of Tourist Spots in the country – Connectivity and Outreach', Rajya Sabha, July 27, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/148/295_2021_7_14.pdf.

[41] No. A. 29017/41/2021, Ministry of Civil Aviation, July 20, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC072021-07202021101640.pdf.

[42] No. A. 60015/170/2021-AD, Ministry of Civil Aviation, July 20, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Constitution_of_Civil_Aviation_Advisory_Group_of_Airports.pdf.

[43] No: AV-16011/4/2021, Ministry of Civil Aviation, July 19, 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Order-Advisory-Group.pdf.

[44] Draft Drone Rules 2021, Ministry of Civil Aviation, July 2021, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Draft_Drones_Rules_14_Jul_2021.pdf.

[45] Unmanned Aircraft System Rules, 2021, Ministry of Civil Aviation, March 12, 2021, https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/?page=jsp/dgca/InventoryList/RegulationGuidance/Rules/The%20Unmanned%20Aircraft%20System%20Rules/UAS%20Rules,%202021.pdf.

[46] The Aircraft Act, 1934, Ministry of Civil Aviation, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1934-22_0.pdf.

[47] Procedure for Accreditation of Testing Agencies for Notification under Rule 126 of CMVR, Ministry of Road Transport and Highways, July 27, 2021, https://morth.nic.in/sites/default/files/notifications_document/PROCEDURE%20FOR%20ACCREDITATION%20RULE%20126%20CMVR.pdf.

[48] Central Motor Vehicles Rules, 1989, Ministry of Road Transport and Highways.

[49] The Motor Vehicles Act, 1988, Ministry of Road Transport and Highways, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1798/1/AAA59__1988.pdf.

[50] Cabinet approves scheme for promotion of flagging of merchant ships in India by providing subsidy support to Indian shipping companies in global tenders floated by Ministries and CPSEs, Press Information Bureau, Cabinet, July 14, 2021.

[51] The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-03-15/The%20Juvenile%20Justice%20(Care%20And%20Protection%20Of%20Children)%20Amendment%20Bill,%202021.pdf.

[52] The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, http://cara.nic.in/PDF/JJ%20act%202015.pdf.

[53] The National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha, March 15, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/NIFTM%20As%20passed%20by%20RS%2015032021-E.pdf.

[54] The Coconut Development Board (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, July 29, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/asintroduced/coconut%20as%20int-E.pdf.

[55] "Cabinet approves Revising and Realigning various components of Department of Animal Husbandry & Dairying Schemes and Special livestock package for leveraging investment of Rs 54,618 crore", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, July 14, 2021.

[56] "CG-DL-E-19072021-228359", Gazette of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, July 19, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/228359.pdf.

[57] The Essential Defence Services Bill, 2021, Ministry of Defence, July 22, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/101_2021_LS_Eng.pdf.

[58] The Essential Defence Services Ordinance, 2021, Ministry of Defence, June 30, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-06-30/Essential%20Defence%20Services%20Ordinance,%202021.pdf.

[59] The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021, as introduced in Lok Sabha on July 30, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-07-30/Delhi%20NCR%20Air%20Pollution%20Bill%20Text.pdf

[60] The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2020, October 28, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/Commission

%20for%20Air%20Quality%20Management%20in%20National%20Capital%20Region%20and%20Adjoining%20Areas%20Ordinance,%202020.pdf.

[61] The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance, 2021, April 13, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-04-13/Air%20Pollution%20Ordinance%202021.pdf.

[62] S.O. 2817 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, July 13, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/228273.pdf.

[63] S.O. 1224 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, March 28, 2020, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218948.pdf.

[64] About PARIVESH, PARIVESH website as accessed on July 23, 2021, https://parivesh.nic.in/.

[65] Madras Bar Association vs Union of India, W.P.(C) No. 502 of 2021, Supreme Court of India, July 14, 2021, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/10688/10688_2021_36_1501_28573_Judgement_14-Jul-2021.pdf.

[66] The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021, Ministry of Law and Justice, April 4, 2021, https://prsindia.org/files/bill_track/2021-04-04/Tribunals%20Reforms%20Ordinance%202021.pdf.

[67] Union of India vs Rajendra N Shah & Anr., Civil Appeal No. 9108-9109 of 2014, Supreme Court of India, July 20, 2021, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2013/21321/21321_2013_32_1501_28728_Judgement_20-Jul-2021.pdf.

[68] The Constitution (97th Amendment) Act, 2011, Ministry of Law and Justice, Jan 12, 2012, https://legislative.gov.in/sites/default/files/amend97.pdf.

[69] "Cabinet approves continuation of the Centrally Sponsored Scheme (CSS) for Development of Infrastructure Facilities for Judiciary for further five years", Press Information Bureau, Cabinet, July 14, 2021.

[70] Report No. 161: Review of the Intellectual Property Rights Regime in India, Standing Committee on Commerce, Rajya Sabha, July 23, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/13/141/161_2021_7_15.pdf.

[71] Report no 308: Impact of COVID-19 on MSME sector, Standing Committee on Industry, July 27, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/17/145/308_2021_7_14.pdf.

[72] "No. 5/2(2)/2021-E/P & G/Policy (E-19025)", Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, July 2, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/OMTRADER07072021.pdf.

[73] F. No. UAM/MC/01/2017-SME, Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, June 27, 2017, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/OMTRADER07072021.pdf.

[74] S.O. 1702 (E), The Gazette of India, Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, June 1, 2020, https://msme.gov.in/sites/default/files/MSME_gazette_of_india.pdf.

[75] 'Master Direction - Priority Sector Lending – Targets and Classification', Master Directions, Reserve Bank of India, December 4, 2018, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=10497.

[76] Annual Report 2020-21, Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises, https://msme.gov.in/sites/default/files/MSME-ANNUAL-REPORT-ENGLISH%202020-21.pdf.

[77] Report No 294: Development and Conservation of Museums and Archaeological Site-Challenges and Opportunities, Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture, Rajya Sabha, July 26, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/148/294_2021_7_14.pdf.

[78] Report No 20: Functioning of National Institute of Fashion Technology (NIFT), Standing Committee on Labour, July 22, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Labour/17_Labour_20.pdf.

[79] "Landmark decision taken by Government of India in Medical Education 27% reservation for OBCs and 10% reservation for Economically Weaker Section (EWS) in All India Quota (AIQ) Scheme for undergraduate and postgraduate medical / dental courses (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) from current academic year 2021-22 onwards", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, July 29, 2021, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1740268.

[80] The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2007-5.pdf.

[81] National Education Policy 2020, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

[82] "NIPUN Bharat", Ministry of Education, July 5, 2021, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2021/jul/doc20217531.pdf.

[83] NIPUN Bharat Implementation Guidelines, Ministry of Education, July 5, 2021, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NIPUN_BHARAT_GUIDELINES_EN.pdf.

[84] F. No. 14-31/2018 (CPP-II), University Grants Commission, July 28, 2021, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/ugc_gazette.pdf.

[85] National Education Policy 2020, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

[86] Consultation Paper on Unified Health Interface, National Health Authority, July 23, 2021, https://ndhm.gov.in/assets/uploads/consultation_papersDocs/UHI_Consultation_Paper.pdf.

[87] National Digital Health Blueprint, Ministry of Health and Family Welfare, https://ndhm.gov.in/home/ndhb.

[88] Renewables Integration in India, NITI Aayog, July 24, 2021, https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-07/RenewablesIntegrationinIndia2021-compressed.pdf.

[89] "Standard Operating Procedure (SOP) for Personalisation of SIM cards", Department of Telecommunications, July 16, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/SOP%20for%20Personalisation%20of%20SIM%20cards.pdf?download=1.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।